सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2021 | अंक 01

ध्येय IAS
most trusted since 2003
www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।
हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।
'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून ⊕ 2021 | अंक ⊕ 01

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

विषय सूची

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे	1-14
सप्ताह के चर्चित व्यक्ति	15-18
सप्ताह के चर्चित स्थान	19-23
सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस	24-28
ब्रेन बूस्टर	29-36
स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	37-41
स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न)	42-43

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- मानसून की शुरुआत में देरी

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- 'अग्रिम जमानत' की अवधारणा
- रवांडा नरसंहार
- संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में चीन का बढ़ता प्रभाव
- पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समूह (ECOWAS)
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)
- देशद्रोह को परिभाषित करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- भारत-मालदीव संबंध
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण हेतु पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन
- द क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 का नियम 6(I)
- मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए नकदी सहायता
- ओडिशा में कृष्णमृगों की संख्या में बढ़ोतरी
- राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. मानसून की शुरुआत में देरी

चर्चा में क्यों?

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार केरल में मानसून (Kerala Monsoon) 3 जून को पहुँचा है जो कि पूर्वानुमान से विलम्ब हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले आईएमडी ने केरल में 31 मई को मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था।

प्रमुख बिन्दु

- एक निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट' के अनुसार मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद यह लगातार उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- मानसून के दक्षिण प्रायद्वीप और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिक हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.साथ ही उत्तरपूर्वी भारत में समय पर प्रगति की उम्मीद है।
- आईएमडी के अनुसार इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। इस साल मॉनसून के दौरान करीब 86.2 CM बारिश होने की उम्मीद है।

आईएमडी द्वारा निर्धारित मानदंड

- आईएमडी के अनुसार, केरल के ऊपर दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत यदि 10 मई के बाद, 14 स्टेशनों में से 60 प्रतिशत - मिनिकॉय, अमिनी, तिरुवनंतपुरम, पुनालुर, कोल्लम, अल्लपुझा, कोट्टायम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझीकोड, थालास्सेरी, कन्नूर, कुडुलु और मैंगलोर में लगातार दो दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो दूसरे दिन केरल में मॉनसून की शुरुआत की घोषणा की जाती है।
- इस वर्षा को हवा की गति से पूरक होना होगा। वहीं आउटगोइंग लॉन्गवेव रेडिएशन (ओएलआर) अक्षांश 5-10 डिग्री उत्तर और देशांतर 70-75 डिग्री पूर्व तक सीमित बॉक्स में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर (डब्ल्यूएम-2) से कम होना चाहिए।

मानसून में देरी का कारण

- आईएमडी के अनुसार निचले स्तर की दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने के कारण, अगले पाँच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में अलग-अलग भारी गिरावट के साथ वर्षा गतिविधि होने की संभावना है। आईएमडी ने इन परिवर्तनों के पीछे पश्चिमी विक्षोभ का कारण माना है।

मानसून का भारत में प्रवेश

- दक्षिण-पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुँच जाती हैं। मध्य जुलाई तक सम्पूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है।
- 'मानसून' जिसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द 'मौसिम' से बना है जिसका अर्थ 'ऋतु' होता है। सामान्य रूप से भारत में इसका हिन्दी उच्चारण 'मौसम' होता है, लेकिन गहन वर्षा काल में यह 'मानसून' हो जाता है।
- भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है, जहां साल के बारह महीनों में 8-9 महीने सामान्य अथवा भीषण गर्मी होते हैं और शेष 3-4 महीने शीत ऋतु के होते हैं। भारत में गहन वर्षा काल का प्रारंभ भीषण गर्मी वाले जून महीने से होता है और यह गर्मी के सामान्य होने तक सितम्बर अथवा कभी-कभी अक्तूबर तक जारी रहता है।

मानसून का भारत में प्रभाव

- भारत में मानसून का समय कृषि के खरीफ सत्र का होता है, जिन क्षेत्रों की भूमि को पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल प्राप्त हो जाता है वहां फसल उत्पादन की संभावनाएं अच्छी होती हैं। लेकिन जहां वर्षा जल की कमी रह जाती है, वहां फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
- मानसून की वर्षा प्राप्त ना होने पर कुछ क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाते हैं और वहां का जन-जीवन नष्ट होने लगता है। जबकि मानसून की अधिकता कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही ले आती है। विगत कुछ वर्षों में हम लोगों ने भारत में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं।
- भारत की आधे से अधिक कृषि भूमि वर्षा सिचिंत जल पर निर्भर है, इसलिए मानसूनी वर्षा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। सिंचाई के प्राकृतिक जल संसाधन नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं आदि इसी मानसूनी वर्षा से जल प्राप्त करते हैं।

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. 'अग्रिम जमानत' की अवधारणा

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज करते समय केवल असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को सुरक्षा की राहत प्रदान कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करने के दौरान दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के बाद आरोपी को 90 दिनों के भीतर नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि उसे उस अवधि के दौरान किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके।
- शिकायतकर्ताओं ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए चुनौती दी कि सीआरपीसी की धारा 438 किसी आरोपी के आवेदन को खारिज करने पर इस तरह के किसी भी संरक्षण के अनुदान पर विचार नहीं करता है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 438 (1) के प्रावधान पर विचार करता है। विशेष रूप से आरोपियों के आवेदन में मांगी गई राहत की अस्वीकृति पर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालय का मत

- मुख्य न्यायाधीश रमना ने न्यायाधीशों से अग्रिम जमानत की याचिकाओं की सुनवाई करते समय आपराधिक कानून के मानवीय पक्ष पर समान ध्यान देने का आग्रह किया। ऐसे मामलों में जमानत देने या अस्वीकार करने का किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अग्रिम जमानत की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न हुई है।
- जब न्यायालय किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां उच्च न्यायालय की राय है कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए असाधारण परिस्थितियों के कारण जब तक कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तब तक उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आवेदक कुछ समय के लिए सुरक्षा की गुहार लगा सकता है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों का प्राथमिक देखभाल करने वाला या कमाने वाला व्यक्ति है और उस उनके घर वालों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- न्यायालय इस तरह का आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसकी शक्तियां भी प्रयोग कर सकता है।

'अग्रिम जमानत' की अवधारणा

- सीआरपीसी की धारा 438 को जब इसकी संपूर्णता में पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 438 (1) स्पष्ट रूप से कुछ कारकों को निर्धारित करती है। मांगी गई राहत प्रदान करने से पहले न्यायालय द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। सीआरपीसी की धारा 438(2) उन शर्तों को निर्धारित करती है जो राहत प्रदान करते समय न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों की किसी भी व्याख्या से इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत किसी आवेदन का अनुदान या अस्वीकृति का किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।
- सीआरपीसी की धारा 438 (अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से संरक्षण)) के तहत मिला संरक्षण हमेशा किसी तय समयसीमा का नहीं होता। अर्थात अग्रिम जमानत में हमेशा समयसीमा तय होना जरूरी नहीं है, अग्रिम जमानत ट्रायल पूरा होने तक जारी रह सकती है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कई मौकों पर कहा है कि अग्रिम जमानत देने वाली अदालत को केस की परिस्थितियां देखते हुए जरूरी लगे तो वह समयसीमा तय कर सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देते समय अदालतों को सामान्य तौर पर अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और मामले के तथ्यों को देखकर यह तय करना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए कि नहीं। अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं यह अदालत का विवेकाधिकार है जो कि मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

2. रवांडा नरसंहार

चर्चा का कारण

- हाल ही में रवांडा नरसंहार (Rwanda genocide) को लेकर फ्रांसीसी जांच पैनल की एक रिपोर्ट ने तत्कालीन फ्रांसीसी सेना की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने 'रवांडा नरसंहार' में अपने देश की भूमिका को स्वीकार करते हुए रवांडा से क्षमा मांगी है।

पृष्ठभूमि

- रवांडा की कुल आबादी में हुतू समुदाय का हिस्सा 85 प्रतिशत है लेकिन लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का देश पर दबदबा रहा है। कम संख्या में होने के बावजूद तुत्सी समुदाय ने लंबे समय तक रवांडा पर शासन किया था।
- साल 1959 में हुतू विद्रोहियों ने तुत्सी राजतंत्र को खत्म कर देश में तख्तापलट किया। जिसके बाद हुतू समुदाय के अत्याचारों से बचने के लिए तुत्सी लोग भागकर युगांडा चले गए। अपने देश पर फिर से कब्जा करने को लेकर तुत्सी लोगों ने रवांडा पैट्रिएक फ्रंट (आरपीएफ) नाम के एक विद्रोही संगठन की स्थापना की जिसने 1990 में रवांडा में वापसी कर कत्लेआम शुरू कर दिया।
- 1993 में सरकार के साथ तुत्सी विद्रोहियों ने समझौता कर लिया और देश में शांति की स्थापना हुई।

रवांडा नरसंहार की शुरुआत

- 6 अप्रैल 1994 की रात को अफ्रीकी देश रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाबयारीमाना और पड़ोसी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति सिपरियन-न्तारियामी को लेकर जा रहे एक विमान को गिरा दिया गया जिससे विमान पर सवार सभी लोग मारे गए। चूंकि दोनों राष्ट्रपति हुतु (Hutus) कबीले से थे, इसलिए हेतु चरमपंथियों ने इसके लिए रवांडा पैट्रिओटिक फ्रंट (Rwandan Patriotic Front-RPF) को जिम्मेदार ठहराया जो निर्वासन में रह रहे विद्रोही तुत्सी (Tutsi) लोगों का गुट था। इसके बाद तुत्सियों का नरसंहार शुरू हो गया।
- हालांकि किसने ये जहाज गिराया था, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसके लिए हुतू चरमपंथियों को जिम्मेदार मानते हैं जबकि कुछ लोग रवांडा पैट्रिएक फ्रंट (आरपीएफ) को। चूंकि ये दोनों नेता हुतू जनजाति से आते थे और इसलिए इनकी हत्या के लिए हुतू चरमपंथियों ने आरपीएफ को जिम्मेदार ठहराया। इसके तुरंत बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया।
- इस नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। 7 अप्रैल से जुलाई 1994 के बीच 100 दिनों की अवधि के दौरान लगभग 800,000 से अधिक रवांडा-वासी मारे गए थे।
- इस नरसंहार का नेतृत्व रवांडा की सेना और इंटरनाहामवे नाम की एक हुतु मिलिशिया कर रही थी।

रवांडा नरसंहार में फ्रांस की भूमिका

- दरअसल, रवांडा लंबे समय तक फ्रांस का उपनिवेश रहा है। इसलिए आज भी इस देश

में फ्रांसीसी प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उस समय भी हुतू सरकार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति की मौत के बाद हुतू सरकार के आदेश पर सेना ने अपने समुदाय के साथ मिलकर तुत्सी समुदाय के लोगों को मारना शुरू किया।
- विश्लेषकों के मुताबिक उस समय फ्रांस ने हुतू सरकार के समर्थन में अपनी सेना भेजी लेकिन उसने नरसंहार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। जनसंहार के समय रवांडा में तथाकथित पीसकीपिंग के लिए मौजूद फ्रांसीसी सैनिक न केवल लोगों को कत्ल होते देखते रहे, बल्कि उनके ऊपर खुद भी हत्याओं में शामिल होने के आरोप हैं।

कैसे खत्म हुआ यह नरसंहार

- 1994 में इस नरसंहार को देखते हुए पड़ोसी देश युगांडा ने अपनी सेना को रवांडा में भेजा। जिसके बाद उसके सैनिकों ने राजधानी किगाली पर कब्जा कर इस नरसंहार को खत्म किया।

रवांडा की भौगोलिक अवस्थिति

- रवांडा मध्य अफ्रीका में एक स्थल-रुद्ध (landlocked) देश है। इसकी राजधानी 'किगाली' है। यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्यभूमि पर स्थित सबसे छोटे देशों में से एक है।

3. संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में चीन का बढ़ता प्रभाव

चर्चा का कारण

- एक नए अध्ययन के अनुसार, चीन ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और संबंधित निकायों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए पिछले एक दशक में कई कदम उठाए हैं।

चीन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

- चीन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और संबंधित निकायों में स्वैच्छिक दान में लगभग 350 फीसदी की वृद्धि की है।
- एक दशक में चीन ने सयुंक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण व गैर-संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय निकायों में अपना प्रभाव बढ़ाया और अब वह अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union – ITU) और

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organisation- UNIDO) सहित ऐसे कई संगठनों में 'प्रमुख स्थिति' (dominant position) में है।

- विश्लेषकों का मानना है कि चीन का ध्यान उन निकायों पर रहा है, जो चीनी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित एवं तय करने में मदद करते हैं और बीजिंग की परियोजनाओं जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करते हैं।
- 2010 और 2019 के बीच संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इसका अनिवार्य योगदान 1096% बढ़ा है, जबकि स्वैच्छिक दान 2010 से 2019 के बीच + 51 मिलियन से बढ़कर 172 मिलियन डॉलर हो गया। इस प्रकार स्वैच्छिक दान में 346% की बढ़त देखी गयी। अनिवार्य योगदान और स्वैच्छिक दान ने संयुक्त रूप से चीन को संयुक्त राष्ट्र का पांचवां सबसे बड़ा दाता बना दिया है, चीन की कुल फंडिंग 2010 में 190 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 1.6 बिलियन डॉलर हो गई है।

चीन का प्रमुख संस्थाओं पर प्रभाव

- अध्ययन में कहा गया है कि जब चीन यूएनडीपी में 7.5 मिलियन डॉलर का योगदान देता है, तो यह विकास परियोजनाओं को लागू करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है।
- चीन सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र की 15 प्रमुख एजेंसियों में से चार का नेतृत्व करता है – आईटीयू (ITU), यूएनआईडीओ (UNIDO), खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)। इसके अतिरिक्त चीन के प्रतिनिधि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहित नौ एजेंसियों- आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) में मौजूद हैं।
- अध्ययन में कहा गया है कि आईटीयू दूरसंचार के लिए वैश्विक मानक तय करता है, जहां चीन की हुआवेई एक प्रमुख खिलाड़ी है। आईटीयू में चीनी प्रतिनिधि भी हैं जो दो कार्यकालों से सेवारत हैं। अध्ययन में कहा गया है कि चीन की कंपनी हुआवेई अफ्रीकी महाद्वीप, प्रशांत और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों जैसे अभी तक कम पहुँच वाले बाजारों में प्रवेश का इच्छुक है।
- यूएनआईडीओ (UNIDO) का गठन विकासशील देशों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, लेकिन इसका महत्व अब कम हो गया है क्योंकि कई देशों ने इसे अनुपयोगी पाया है। इसके अतिरिक्त चीन ने UNIDO को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से जोड़ा दिया है, और अब UNIDO इसका समर्थन करता है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन' (ICAO), जो हवाई नेविगेशन और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करती है, में चीन ने ताइवान को किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होने दिया है।

भारत को क्या करना चाहिए?

- भारत को अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) एवं आपदा रोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CDRI) जैसे अपने स्वयं के बहुपक्षीय समूहों का नेतृत्व कुशल तरीके से करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त नियम-निर्माता के रूप में भारत को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- भारत को अपने हितों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों और निकायों में अपने स्वैच्छिक योगदान में वृद्धि करनी चाहिए।

4. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समूह (ECOWAS)

चर्चा का कारण

- पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States- ECOWAS) माली में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण पैदा हुई असुरक्षा के कारण पश्चिम अफ्रीका की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है। इस कारण ईसीओडब्ल्यूएस (ECOWAS) के द्वारा मध्यस्थता करने का प्रयास किया जा रहा है।

माली में राजनीतिक संकट

- अफ्रीकी देश माली में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और देश के निवर्तमान राष्ट्रपति बाह एन दाव तथा प्रधानमंत्री मोक्टार ओआने को गिरफ्तार तक कर लिया था। नौ महीने पहले हुए सैन्य विद्रोह में सेना ने माली की सरकार पर कब्जा कर लिया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द राष्ट्रपति बाह एन दाव और प्रधानमंत्री मोक्टार ओआने को रिहा करें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ही अब काती सैन्य मुख्यालय में रखा गया है।
- सेना की मंशा अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद रक्षामंत्री और सुरक्षा मंत्री बनाए गए सादियो कामारा और मोदिबो कोने को फेरबदल के बाद कैबिनेट से बाहर कर दिया गया।

माली के पड़ोसियों और सहयोगी देशों पर असर

- माली के अंतरराष्ट्रीय सहयोगी ताजा घटनाक्रम का क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन यहां मजबूत हैं और पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता का उन्होंने फायदा उठाया है। 2012 में तख्तापलट के बाद अलकायदा के आतंकवादियों ने मौके का फायदा उठाते हुए माली के उत्तरी इलाके पर

कब्जा कर लिया। तब से फ्रांस की अगुआई में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने देश में स्थिरता लाने के लिए हजारों सैनिकों की तैनाती, अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अभी तक उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली है।

- आतंकवादी सेना और आम नागरिकों पर नियमित रूप से हमले करते रहते हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों जैसे नाइजर और बुर्किना फासो में हमले के लिए माली को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया है। यूरोपीय नेताओं को चिंता है कि अधिक समय तक स्थानीय अस्थिरता से बड़ी संख्या में लोगों को यहां से पलायन को मजबूर होना पड़ सकता है।

इकोवास (ECOWAS) के बारे में

- पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का 15 सदस्यीय आर्थिक समुदाय, इकोवास (ECOWAS) की स्थापना 28 मई 1975 में लागोस की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी।
- इकोवास की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूरे पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- ECOWAS बनाने वाले सदस्य देश बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डी आइवर, द गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो हैं।
- ECOWAS की स्थापना अपने सदस्य राज्यों के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- ECOWAS का विजन एक सीमा रहित क्षेत्र का निर्माण करना है, जहां आबादी के पास अपने प्रचुर संसाधनों तक पहुंच हो।

5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

चर्चा का कारण

- हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council-UNHRC) में वोटिंग हुई है। विदित हो कि भारत, इस वोटिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहा है।

मुख्य बिन्दु

- फिलस्तीन की गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच हाल ही में संघर्ष हुआ था।
- गाजा पट्टी में हुए इस संघर्ष के दौरान कथित उल्लंघनों और अपराधों की जांच शुरू करने के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council- UNHRC) के प्रस्ताव पर वोट डालने से भारत समेत 14 देश अनुपस्थित रहे हैं।
- हालांकि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के विशेष सत्र में पारित हो गया है। क्योंकि 24 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला है, जबकि 9 देशों ने इसका विरोध किया है।
- यूएनएचआरसी के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले देशों में चीन और रूस भी हैं।
- दरअसल कुछ विशेषज्ञ यूएनएचआरसी के इस प्रस्ताव को इजराइल के हितों के विपरीत मान रहे हैं।
- हालांकि यूएनएचआरसी के इस विशेष सत्र में भारत ने कहा कि भारत गाजा में इजरायल और सशस्त्र समूह के बीच संघर्ष विराम में सहयोग देने वाले क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत करता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और उन कदमों से गुरेज करने की अपील करता है जो तनाव बढ़ाते हों।
- साथ ही ऐसे प्रयासों से परहेज करने को कहता है जो पूर्वी यरुशलम और उसके आस-पड़ोस के इलाकों में मौजूदा यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने के लिए हों।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council- UNHRC), संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतरसरकारी निकाय है।
- इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को संकल्प 60/251 के माध्यम से किया गया था।
- यह दुनियाभर में मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत बनाने और मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।
- यूएन मानवाधिकार परिषद ने पूर्ववर्ती मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।
- यूएन मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है।

यूएन मानवाधिकार परिषद के सदस्य

- यूएन मानवाधिकार परिषद 47 सदस्यों से मिलकर बनी है, इन सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है।
- महासभा द्वारा सदस्यों के चयन के मामले में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में उम्मीदवारों राज्यों के योगदान के साथ-साथ इस संबंध में उनकी स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- मानवाधिकार परिषद की सदस्यता में समान भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाता है।
- इसमे भौगोलिक आधार पर सीटों का वितरण निम्नानुसार है:
  - अफ्रीका महाद्वीप से : 13 सदस्य
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र से : 13 सदस्य
  - लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन क्षेत्र से : 8 सदस्य
  - पूर्वी यूरोपीय देशों से : 6 सदस्य
  - पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से : 7 सदस्य
  - सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होता है और कोई भी लगातार दो से अधिक कार्यकाल धारण नहीं कर सकता है।

6. देशद्रोह को परिभाषित करने का समय: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा का कारण

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार "अब देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करने का समय आ गया है"। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी दो समाचार चैनलों द्वारा दायर की गयी रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान की गयी।

क्या था मामला?

- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, दो नेताओं के 'आपत्तिजनक' भाषणों को दिखाने के लिए दो तेलुगु समाचार चौनलों - TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ, कथित देशद्रोह का आरोप लगाया गया है।
- उक्त समाचार चैनलों ने आंध्र में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद के रघु राम कृष्ण राजू के 'आपत्तिजनक' भाषण का प्रसारण किया था।
- इसलिए राज्य सरकार ने उन चैनलों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया था। सांसद राजू अपनी ही सरकार की कोविड नीतियों के आलोचना कर रहे हैं।
- इस पर वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने राजू को भी देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

न्यूज चैनलों का तर्क

- याचिकाकर्ताओं का कहना है, कि सरकार की कार्रवाई, उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल को जारी किये गए आदेश का उल्लंघन करती है। इस आदेश में, शीर्ष अदालत ने कोविड -19 के मुद्दे पर अपनी शिकायतों को व्यक्त करने पर नागरिकों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ अभियोजन पर रोक लगाई थी।
- न्यूज चैनलों ने राज्य सरकार पर राज्य में कोविड-19 महामारी की मीडिया कवरेज और रिपोर्टिंग में बाधा डालकर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
- सर्वोच्च न्यायालय से उसके पिछले आदेश का उल्लंघन करने के मामले में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह शिकायत करने वाले नागरिकों पर मुकदमा चलाने और उन्हें गिरफ्तार करने संबंधी किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यवाही को तत्काल बंद करे।
- न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ा की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने इन चैनलों की याचिकाओं पर राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इन चैनलों के खिलाफ राजद्रोह सहित विभिन्न अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।
- इस पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट भी शामिल हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उस एफआईआर से संबंधित समाचार चैनलों के कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- शीर्ष कोर्ट ने कहा, 'हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों - 124ए (राजद्रोह) और 153 (विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना) की व्याख्या की जरूरत है, खासकर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर।'

अदालत द्वारा की गयी टिप्पणी

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब वक्त आ गया है, कि हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124। (देशद्रोह) और धारा 153 (समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के, विशेष रूप से प्रेस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों से संबंधित विषयों पर, प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कोविड-19 प्रबंधन के विषय में शिकायत करने वाले आलोचकों, पत्रकारों, सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं और नागरिकों के विरुद्ध देशद्रोह कानून के अनुचित उपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है।
- यहाँ तक कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा पहुँच, उपकरण, दवाएँ और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करने वाले लोगों के विरुद्ध भी देशद्रोह कानून का उपयोग किया जा रहा है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, मत और विश्वास को मौखिक, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिये गए निर्णय

- **केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला (1962):** आईपीसी की धारा 124A के तहत अपराधों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले (1962) में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे।
- अदालत ने फैसला सुनाया था, कि सरकार के कार्यों की चाहें कितने भी कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की जाए, यदि उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती है, तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा।
- **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामला:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, कि केवल नारे लगाना, इस मामले में जैसे कि 'खालिस्तान जिंदाबाद', देशद्रोह नहीं है। जाहिर है, देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझा जा रहा है और असहमति को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

देशद्रोह (Sedition) के बारे में

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (देशद्रोह), 153A और 505 के प्रावधानों को परिभाषित किया जाना समय की मांग है।
- **IPC की धारा 153A:** IPC की धारा 153A के अनुसार धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास,

भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के विरुद्ध कार्य करने वाले कृत्यों को दंडित करता है।

- **IPC की धारा 505:** IPC की धारा 505 के अनुसार ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध बनाता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समाचार, सूचना और अधिकारों को संप्रेषित करने के अधिकार के संदर्भ में, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में प्रचलित शासन के लिये आलोचनात्मक ही क्यों न हो।

देशद्रोह को परिभाषित करने की आवश्यकता

- देशद्रोह कानून लंबे समय से विवादों में रहा है। अक्सर सरकारों के 'भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-A' कानून का उपयोग करने पर, उनकी नीतियों के मुखर आलोचकों द्वारा आलोचना की जाती है।
- इसलिए, इस धारा को व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है, और एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आती है।
- IPC की धारा 124A राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से निपटने में उपयोगी है। हालाँकि सरकार से असहमति और उसकी आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में परिपक्व सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- राजद्रोह की परिभाषा को संकुचित किया जाना चाहिये, जिसमें केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को ही शामिल किया जाए। देशद्रोह कानून के मनमाने प्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिक समाज को पहल करनी चाहिये।

7. भारत-मालदीव संबंध

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।

मुख्य बिन्दु

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
- यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए फरवरी, 2021 में हुआ था।
- एमओयू के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा।

समझौते से लाभ

- यह एमओयू दोनों देशो के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा।
- एमओयू से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है।

भारत- मालदीव संबंध

- भारत और मालदीव के बीच प्राचीन काल से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं।
- भविष्य के लिए भारत की दूरगामी सोच में 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood first policy) और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) नीतियाँ हैं। इन नीतियों में मालदीव का प्रमुख स्थान है।
- उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है।
- अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति और बढ़ेगी और इससे वर्तमान संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस समय भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंध अप्रत्याशित रूप से नए आयाम और ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

नेबरहुड फर्स्ट नीति

- भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood first policy) के तहत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता है।
- इस नीति के तहत सीमा क्षेत्रों के विकास, क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी एवं सांस्कृतिक विकास तथा लोगों के आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- हाल ही में भारत द्वारा पड़ोसियों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने से 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' को और बल मिला है।
- गौरतलब है कि भारत ने अपनी कोविड -19 वैक्सीन कूटनीति के तहत भूटान और मालदीव को वैक्सीन की पहली खेप भेजी थी।

मालदीव

- मालदीव, हिन्द महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
- यहाँ प्रवाल द्वीप पाये जाते हैं, इसलिए यह देश पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है।
- मालदीव, जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है।
- मालदीव की राजधानी माले है।

8. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच 'मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग' के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी है।

मुख्य बिन्दु

- यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे समानता सुनिश्चित हो सके।
- यह समझौता सदस्य देशों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में

- 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये संगठन अस्तित्व में आया था। 1996 में बना ये संगठन पहले शंघाई - 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल थे।
- 2001 में इस संगठन का विस्तार हुआ और उज्बेकिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया। उज्बेकिस्तान के इस संगठन में शामिल होने के बाद 15 जून, 2001 को शंघाई में SCO संगठन की स्थापना हुई थी।
- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO), एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है।
- वर्तमान में इस संगठन में आठ सदस्य देश हैं, यथा- रूस, भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। इसके अतिरिक्त, इस संगठन के चार पर्यवेक्षक और छह संवाद सहयोगी सदस्य देश भी हैं।

- गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान को 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- शंघाई सहयोग संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय 'सदस्य देशों के राष्ट्रप्रमुखों की परिषद' है। इस परिषद की वार्षिक बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं।
- एससीओ का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना है।
- आर्कटिक महासागर से हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तक फैली दुनिया की करीब 44 प्रतिशत आबादी एससीओ में शामिल देशों के अंतर्गत आती है।

भारत के लिये क्यों अहम है SCO?

- SCO की सदस्यता भारत को संपूर्ण एशिया की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करती है जबकि पहले भारत की प्रतिष्ठा केवल दक्षिण एशिया तक ही सीमित थी।
- SCO मौजूदा समय में भौगोलिक क्षेत्र और जनसँख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है।
- भारत इस मंच के जरिए मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।
- भारत SCO के जरिए ईस्ट और वेस्ट के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है।
- SCO के संदर्भ में भारत के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं- पहला आतंकवाद और दूसरा कनेक्टिविटी। भारत के ये दोनों ही उद्देश्य SCO के मूल मन्त्र से मेल खाते हैं।
- भारत SCO के ताशकंद स्थित आतंकवाद-रोधी निकाय (रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर -RATS) से खुफिया तंत्र और इंटेलिजेंस तक पहुंच चाहता है।
- भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया में भारत के हितों में सर्वोपरि ऊर्जा सहयोग है और यह चीन के पड़ोस में स्थित है।
- चीन SCO के जरिए इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक मकसदों को पूरा करना चाहता है। भारत भी इस संगठन के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है।
- SCO के कई देश प्राकृतिक गैस और तेल भंडार वाले देश हैं। भारत इन देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध बना कर अपने हितों को साध सकता है।
- SCO के जरिए भारत मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों के प्रसार और आतंकवाद व कट्टरतावाद जैसे समस्याओं से निपटने का प्रयास कर सकता है।
- लंबे समय से अधर में पड़ी तापी (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान- भारत) पाइपलाइन और IPI (ईरान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर SCO के जरिए बात आगे बढ़ सकती है।
- सार्क के सुस्त होने के बाद SCO संगठन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। अतः SCO चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण हेतु पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

योजना के प्रमुख बिन्दु

- **बच्चे के नाम पर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट):** पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक योजना के माध्यम से योगदान देगा। यह कोष 18 वर्ष की आयु से अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता / छात्रवृत्ति देने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप से कोष की राशि मिलेगी।
- **स्कूली शिक्षा**
  - **10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए:** बच्चे को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
  - अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।
  - **11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए:** बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चे को अभिभावक / दादा-दादी / विस्तारित परिवार की देखरेख में रखा जाना है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।

- अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।
- **उच्च शिक्षा के लिए सहायता:** मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।
- विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क / पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।
- **स्वास्थ्य बीमा:** ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।
- 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।

लाभ

- बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह योजना बच्चों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा ताकि वे मजबूत नागरिक के रूप में उभरें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो।

2. द क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट के माध्यम से वैश्विक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को सुरक्षित करने और 2050 तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया।

प्रमुख बिन्दु

- क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट (Climate Breakthroughs Summit) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum), मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप (Mission Possible Partnership), यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस (United Nations Climate Champions) और यूनाइटेड किंगडम (COP 26 प्रेसीडेंसी) के बीच एक सहयोग है।
- इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ-साथ प्रकृति सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की। इसके प्रमुख अभियानों में से एक 'रेस टू जीरो (Race to Zero)' अभियान है जो 708 शहरों, 24 क्षेत्रों, 2,360 व्यवसायों, 163 निवेशकों और 624 उच्च शिक्षा संस्थानों के समर्थन को एक स्थायी भविष्य के लिए शून्य-कार्बन वसूली की ओर ले जाने के लिए समर्थन जुटाता है।
- डेनमार्क की एकीकृत शिपिंग कंपनी मेर्स्क (Maersk) 'रेस टू जीरो' अभियान में पहली बार शामिल हुई, जिसने पेरिस समझौते 2015 के तहत पूर्ण डीकार्बोनाइजेशन के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुरूप 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने की प्रतिबद्धता जताई। गौरतलब है कि मर्स्क (Maersk), विश्व की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन और पोत संचालक है।

शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच वर्षों में वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की 40 प्रतिशत संभावना है।
- पिछले दशक में यह अनुमान लगाया गया था कि किसी एक वर्ष के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुँचने की आशंका केवल 20 प्रतिशत थी। दूसरे शब्दों में पारे के इतना गर्म होने की आशंका दोगुनी हो गयी है।
- विश्व भर से 40 स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों ने 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक नेट जीरो तक पहुँचने के लिये स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। ये 40 संस्थान करीब 18 देशों में 3,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- पेरिस समझौते के वादे को पूरा करने का एकमात्र तरीका तत्काल कार्रवाई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी देशों से वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा करने के लिए तत्काल अगले कदम उठाने का आह्वान करता है।

शून्य कार्बन उत्सर्जन एवं भारत

- शून्य कार्बन उत्सर्जन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई देश उतना ही ग्रीन हाउस गैसों का उर्त्सजन करेगा जितनी उसकी सोखने की क्षमता है।
- पूर्व में भारत ने कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य रखा था। इसमें 2020 से पहले ही 20 फीसदी कमी आ चुकी है तथा इसकी सूचना भारत संयुक्त राष्ट्र को दे चुका है।
- भारत के लक्ष्य तापमान बढ़ोत्तरी को दो डिग्री तक सीमित रखने के अनुरूप हैं जबकि जी-20 देशों में अन्य कोई भी देश इस लक्ष्य के अनुसार नहीं चल रहा है। इसके साथ ही भारत ने अपनी विकास संबंधी चुनौतियों से जुड़े मुद्दे भी रखे हैं।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 का नियम 6(I)

चर्चा का कारण

- हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

मामला क्या?

- 25 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 मई को केंद्र की मंजूरी का हवाला देते हुए बंद्योपाध्याय की सेवा विस्तार का आदेश जारी किया। मगर तीसरे दिन ही 28 मई को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने मुख्य सचिव को लिखा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने "तत्काल प्रभाव" से भारत सरकार के साथ बंद्योपाध्याय की सेवा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। साथ ही उन्हें राज्य की सेवा से मुक्त होकर 31 मई को सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। लेकिन इसके एक दिन बाद ही उन्होंने मुख्य सचिव के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनके मुख्य सलाहकार के रूप में शामिल हो गए।

नियम और अधिकार

- अखिल भारतीय सेवा के अधिकरियों की प्रतिनियुक्ति के नियम 6(1) के तहत किसी राज्य के काडर के अधिकारी की प्रति नियुक्ति केंद्र या अन्य राज्य या सार्वजनिक उपक्रम में संबंधित राज्य की सहमति से की जा सकती है।

- भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम-1954 के तहत, कोई असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती हैं या संबंधित राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी कर सकती है।

अधिकारियों को कैसे मिलता है एक्सटेंशन

- DCRB (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम के नियम 16(1) में कहा गया है कि "सेवा का सदस्य जो बजट कार्य से संबंधित है या किसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। अगर उसकी सेवा समाप्त हो जाती है तो उसे तीन महीने तक का सेवा विस्तार दिया जा सकता है।
- हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं, किसी राज्य के मुख्य सचिव के पद पर तैनात अधिकारी के लिए यह विस्तार छह महीने के लिए हो सकता है।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

- सामान्य तौर पर केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा) के अधिकारियों की "प्रस्ताव सूची" मांगता है, जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है। आईएएस संवर्ग नियमों के नियम 6(1) में कहा गया है कि एक अधिकारी, "संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

पूर्व में विवाद एवं सर्वोच्च न्यायालय का मत

- पिछले साल दिसंबर के महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल से तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब करने का निर्देश दिया था। मगर पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन तीनों अधिकारियों को सेवा मुक्त नहीं किया था। इस संदर्भ में याचिका भी डाली गयी मगर सर्वोच्च अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी।
- इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 ऐसे मामलों के संदर्भ में सजा या दंड के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं।

4. मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए नकदी सहायता

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे, जो मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी हैं, को लगभग 100 रुपये मौद्रिक सहायता देने का फैसला किया है। हालांकि, खाद्य अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि परिकल्पित पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह राशि अपर्याप्त है।

प्रमुख बिन्दु

- शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (direct benefit transfer) के माध्यम से ₹1200 करोड़ की कुल राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रदान की जाएगी। इस उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।
- यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने और महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा की रक्षा करने में मदद करेगा। मध्याह्न-भोजन योजना सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।

खाना पकाने की लागत

- 2021-22 में मिड डे मील योजना के लिए कुल केंद्रीय आवंटन ₹11,500 करोड़ है। इसका सबसे बड़ा घटक खाना पकाने की लागत है, जो दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल, नमक और मसालों जैसी सामग्री की कीमतों को कवर करती है।
- पिछले साल, प्रति बच्चा प्रति दिन खाना पकाने की न्यूनतम आवंटन कक्षा 1 से 5 के लिए 4.97 रुपये और कक्षा 6 से 8 के लिए 7.45 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसमें केंद्र लागत का 60% भुगतान करता था।

संबन्धित समस्याएँ

- COVID-19 के कारण स्कूल बंद होने से कुछ स्थानों पर बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले नकद तथा सूखा राशन दिया जा रहा है। जो किसी भी तरह से एक दिन में एक बार पौष्टिक भोजन के लिए भी पर्याप्त मात्रा के हिसाब से बहुत कम है। विश्लेषकों का मानना है कि ₹100 प्रति बच्चे के हिसाब से देखा जाये तो मासिक भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि प्रतिदिन ₹4 से भी कम होती है।
- जब एक स्कूल को खाना पकाने की लागत के लिए प्रति बच्चा भत्ता मिलता है, तो वे थोक मूल्यों पर सामग्री खरीदने के लिए पैसे जमा करने में सक्षम होते हैं। फिर भी, यह राशि सरकार के पोषण संबंधी मानदंडों (जैसे, 20-30 ग्राम प्रोटीन, 50-75 ग्राम सब्जियों) को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है।
- इसके अतिरिक्त बैंक जाने और इस पैसे को वापस लेने की लागत ज्यादा होगी, साथ ही लॉकडाउन को देखते हुए उन्हे अन्य कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

सुझाव

- विश्लेषकों का मानना है कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंडे, सब्जियां, फल, दाल / चना, तेल आदि वस्तु बच्चों को घर ले जाने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए।
- जानकारों का मानना है कि केंद्र की एकमुश्त नकद सहायता अपर्याप्त होगी। लगभग 200 स्कूल दिनों के साथ प्रत्येक बच्चे को

₹900-₹1300 सालाना [खाना पकाने की लागत घटक] मिलना चाहिए। पिछले पूरे साल शायद ही किसी राज्य ने दोनों किया – मुफ्त अनाज प्रदान करें और खाना पकाने की इन लागतों को स्थानांतरित करें। इसके अतिरिक्त सरकार को पिछले साल का बकाया भी ट्रांसफर करना चाहिए।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में

- मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चों को खिलाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आहार कार्यक्रम है। मिड डे मील 6-14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को मिलता है। एक वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक प्रत्येक कार्य दिवस पर ताजा भोजन पकाया जाएगा।
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) व उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है।
- इस योजना का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में शुरू किया गया था। इसके बाद दिनांक 01 सितम्बर, 2000 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी।
- मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के दौरान, केन्द्र एवं राज्य सरकारें साथ-साथ कार्य करती हैं। केन्द्र सरकार, योजना के क्रियान्वयन के दौरान राज्य सरकारों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करती है।

5. ओडिशा में कृष्णमृगों की संख्या में बढ़ोतरी

चर्चा का कारण

- हाल ही में ओडिशा राज्य वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह वर्षों में ओडिशा में काले हिरण की आबादी दोगुनी हो गई है।

प्रमुख बिन्दु

- नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कृष्णमृगों की संख्या कुल संखा 7,358 है जिनमे 4,196 मादा व 1,712 नर हैं। इसके अतिरिक्त 1,450 युवा मृग हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में मृग आबादी 2,194 जबकि 2015 इनकी आबादी 3806 थी।
- काले हिरण ओडिशा राज्य के दक्षिणी भाग में केवल गंजम जिले में पाए जाते हैं। यह 2012-13 तक पुरी जिले के बालूखंड – कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य में देखा जाता था, लेकिन अब ये इस क्षेत्र से गायब हो गए हैं ।
- काले हिरण को ओडिशा और गंजम जिले में कृष्णसारा मृगा (Krushnasara Mruga) के नाम से जाना जाता है।

कृष्णमृग का संरक्षण

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1992 में संशोधित) के अनुसार 'काला हिरण' या कृष्णमृग, अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है और रेड डेटा बुक (Red Data Book) के अनुसार इसे 'अतिसंवेदनशील' (Vulnerable) माना जाता है।
- 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत भारत में कृष्णमृग (काले हिरन) का शिकार करना प्रतिबंधित है।

कृष्णमृग या काले हिरण

- कृष्णमृग का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सेरवीकप्रा (Antilope Cervicapra) है, जिसे 'भारतीय मृग' (Indian Antelope) के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 74 से 84 सेमी. तक होती है। नर हिरन का वजन 20-57 किलोग्राम होता है जबकि मादा हिरन का वजन औसतन 20-33 किलोग्राम होता है। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। इसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है।
- आईयूसीएन ने काले हिरन को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृष्णमृग रेगिस्तान (उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में), तटीय क्षेत्रों और पहाड़ों (उत्तरी-पूर्वोत्तर क्षेत्र) में भी देखे जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) और इसकी रेड लिस्ट के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (The International Union For Conservation Of Nature- IUCN) दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिये एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- आईयूसीएन सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड में स्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का घोषित लक्ष्य, विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची (रेड लिस्ट) प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है।

साइट्स (CITES)

- वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES), विभिन्न देशों के बीच एक बहुपक्षीय संधि या समझौता है।
- इसके माध्यम से वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाई जाती है।
- यह बहुपक्षीय संधि 1 जुलाई, 1975 से लागू है। वर्तमान में साइट्स (CITES) के 183 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है।

6. राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates of National Income) जारी किए हैं।

मुख्य बिन्दु

- भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates of National Income) जारी किए हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की जीडीपी की विकास की दर वित्त वर्ष 2020-21 में '-7.3 फीसद' रही है। जीडीपी की वृद्धि दर में यह गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण आई है।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण चार दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है।
- आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2021) में जीडीपी 1.6 फीसद की दर से बढ़ी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर थी।
- वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 0.5 फीसद रही थी और दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट '-7.5%' रही थी।

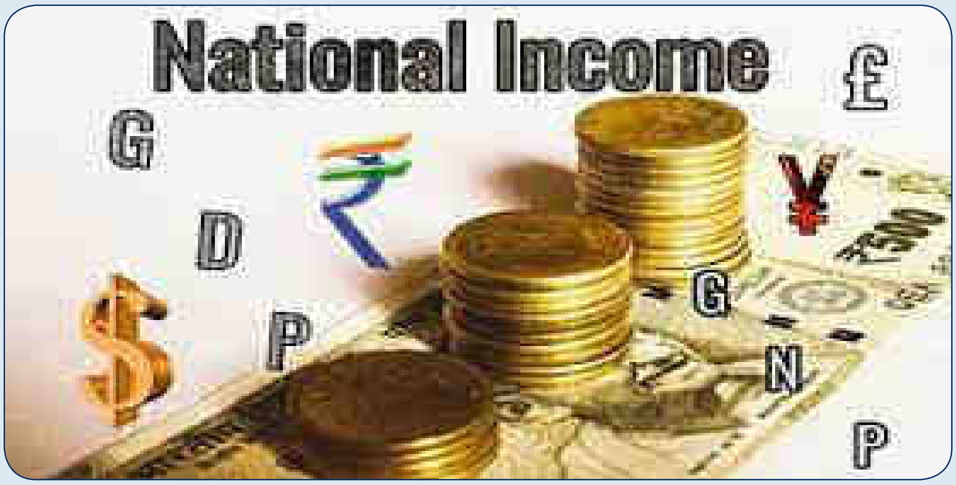

- वहीं वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई थी और यह -23.9% रही थी।
- गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 4 फीसद रही थी।

जीडीपी

- किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय-सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कहते हैं।
- यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है।
- इसकी गणना आमतौर पर वार्षिक होती है, लेकिन भारत में इसे हर तीन महीने यानी तिमाही में भी आंका जाता है। कुछ वर्ष पूर्व इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग-अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया था।
- जीडीपी दो तरह की होती है- नॉमिनल और रियल।
- नॉमिनल जीडीपी सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग होता है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है अर्थात अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपये की बढ़त हुई है और महंगाई 4 फीसदी है तो उसके रियल मूल्य में बढ़त 6 फीसदी ही मानी जाएगी। भारत में हर तिमाही जो आंकड़े जारी होते हैं वे रियल जीडीपी के होते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO), भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के अंतर्गत आता है। इसे वर्ष 2019 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office- CSO) के साथ विलय करके बनाया गया था।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

विनायक दामोदर सावरकर

लॉरेंस डेस कार्स

जवाहरलाल नेहरू

एरिक कार्ले

पेन्पा त्सेरिंग

अरुण कुमार मिश्रा

अब्दुल्ला शाहिद

1. विनायक दामोदर सावरकर

- हाल ही में 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की 138वीं जयंती मनायी गयी है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।

विनायक दामोदर सावरकर का परिचय

- विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के भागुर ग्राम (नासिक जिला) में हुआ था। इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है।
- 1904 में सावरकर ने पूना में अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की भी स्थापना की थी। इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से भी सावरकर जुड़े हुए थे।
- 1909 में विलियम कर्जन वायली की हत्या, नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या और इंडिया हाउस संस्था से जुड़े होने के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलूलर जेल भेज दिया गया था।
- सावरकर का निधन स्वतंत्र भारत में 26 फरवरी, 1966 को मुम्बई में हुआ था।

विनायक दामोदर सावरकर से संबन्धित विवाद

- विनायक दामोदर सावरकर के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं।
- कुछ विद्वानों का माना है कि हिन्दू महासभा की स्थापना के साथ सावरकर ने हिन्दुत्व को एक एजेंडा के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त (Two-nation theory) का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने कहा कि हिन्दू और मुसलमान कभी भी एकसाथ नहीं रह सकते, अत: उनके लिए दो अलग-अलग राष्ट्र होने चाहिए।
- मुहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की शक्ल में पृथक होमलैंड की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन सावरकर ने तो उससे काफी पहले, 1937 में ही, जब वे अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे, तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं।
- नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या किये जाने के तार सावरकर से भी जुड़े थे। इसकी जाँच हेतु कयूर कमीशन का गठन किया गया, जिसने सावरकर को दोषयुक्त पाया।

2. लॉरेंस डेस कार्स

- हाल ही में कला इतिहासकार लॉरेंस डेस कार्स लौवर (Louvre) संग्रहालय के 228 साल के इतिहास में इसकी अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। लॉरेंस डेस कार्स कला के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं।
- पेरिस में स्थित लौवर दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। यह सीन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह मोनालिसा के लिए जाना जाता है, जो इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई पेंटिंग है।
- लॉरेंस डेस ने हाल ही में कुछ विवादास्पद विषयों का अध्ययन किया है। इसमें नाजियों के लूटे गए कार्यों एवं फ्रांस के उस इतिहास को दिखाने की कोशिश की है जिसमें ऑरसे ने गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग 'रोजेज' को उसके पिछले मालिक नोरा स्टियसनी के उत्तराधिकारियों को वापस सौंप दिया था। वहीं नाजियों ने उत्तराधिकारियों से फिर उस पेंटिंग को चुरा लिया था।
- डेस कार्स उन प्रमुख हस्तियों में से एक थी, जिन्होंने 2007 और 2014 के बीच संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में 'लौवर अबू धाबी' की स्थापना की।

लियोनार्डो दा विंची के बारे में

- लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 को इटली के विन्ची नामक शहर में हुआ था। यह एक चित्रकार, वास्तुकार, मुर्तिकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, शरीर रचना के जानकार और लेखक के अलावा भी कई विषय की जानकारी रखते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की है।

3. जवाहरलाल नेहरू

- हाल ही में 27 मई को जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि मान्य गया है पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका 27 मई, 1964 को उनका निधन हो गया था।

प्रारंभिक जीवन

- जवाहरलाल नेहरू भारतीय बैरिस्टर और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त करने के बाद पंद्रह साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए और हैरो में दो साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहाँ से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की।

राजनितिक जीवन

- 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिनफेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ा। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा।

आर्थिक नीतियां

- नेहरू जी ने अर्थव्यवस्था की समाजवादी दृष्टि को लागू किया। 1951 में, नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की, जिसने उद्योगों और कृषि में भारत सरकार के निवेश की रूपरेखा तैयार की।
- नेहरू ने योजना आयोग के साथ -साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की जिसमें सरकार खनन, बिजली और भारी उद्योगों जैसे रणनीतिक उद्योगों का प्रबंधन करेगी, जनहित की सेवा करेगी और निजी उद्यम के लिए जाँच होगी।

- नेहरू ने बड़े बाँधों, सिंचाई कार्यों और पनबिजली के निर्माण को प्रोत्साहित करते हुए परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेहरू जी ने नहरों, बांधों के निर्माण और उर्वरकों के उपयोग के लिए कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।

4. एरिक कार्ले

- हाल ही में 'द वेरी हंग्री कैटरपिलर' के लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का मैसाचुसेट्स (अमेरिका) में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में जर्मन अप्रवासी माता-पिता के यहाँ हुआ था।
- एरिक कार्ले (Eric Carle) एक अमेरिकी डिजाइनर, चित्रकार और बच्चों के लेखक थे। उनके प्रसिद्ध चित्र पुस्तक "द वेरी हंग्री कैटरपिलर" का लगभग 66 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसकी लगभग 50 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकों का चित्रण किया था।
- उन्हें अमेरिका में प्रकाशित बच्चों की किताबों के लेखकों या चित्रकारों को प्रदान किया जानेवाला "लौरा इंगल्स वाइल्डर मेडल" से सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान को अब Children's Literature Legacy Award कहा जाता है। इसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है।

5. पेन्पा त्सेरिंग

- हाल ही में पेन्पा त्सेरिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लोबसंग सांगे के जगह ली है। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया।
- तिब्बती सरकार के निर्वासित राष्ट्रपति को सिक्योंग (Sikyong) कहा जाता है। निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय धर्मशाला में स्थित है।

पेन्पा त्सेरिंग

- पेन्पा त्सेरिंग का जन्म 1967 में कर्नाटक में हुआ था। वह एक तिब्बती राजनेता हैं। उन्होंने मद्रास क्रिस्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पेन्पा त्सेरिंग को 1996 से 2006 तक केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) की संसद के लिए दो बार चुना गया था। वे 2016 के सिक्योंग चुनाव में रनर-अप रहे थे।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA)

- 28 अप्रैल, 1959 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन स्थापना हुई थी। इसकी एक न्यायिक शाखा, विधायी शाखा और कार्यकारी शाखा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) तिब्बत की निर्वाचित संसदीय सरकार होती है।

6. अरुण कुमार मिश्रा

- हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अरुण कुमार मिश्रा ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था और सितंबर 2020 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। मिश्रा ने राजस्थान और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है।
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चयन पैनल की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया है। NHRC एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। यह

मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। NHRC में अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं (पदेन सदस्यों को छोड़कर)। अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति से पहले एचएल दत्ता एनएचआरसी के अध्यक्ष थे।

7. अब्दुल्ला शाहिद

- हाल ही में भारत ने 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' (UNGA) के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के समर्थन करने का फैसला किया है। इस बार 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' (UNGA) का प्रमुख, एशिया-प्रशांत समूह से चुना जाएगा।

'एशिया-प्रशांत समूह' के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र के 'एशिया-प्रशांत समूह' (Asia-Pacific group of the UN) में 53 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, और यह सदस्य राष्ट्रों की संख्या के हिसाब से अफ्रीकी समूह के बाद, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है। इसके भू-क्षेत्र में, कुछ देशों को छोड़कर, एशिया और ओशिनिया महाद्वीपों के अधिकांश देश आते हैं।

'संयुक्त राष्ट्र महासभा' (UNGA)

- महासभा (General Assembly), संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्शक, नीति निर्धारक और प्रतिनिधि अंग है। महासभा में, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और इस प्रकार, यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाली संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है। महासभा के द्वारा इसके अध्यक्ष का, एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' के अध्यक्ष पद हेतु, प्रतिवर्ष पांच भौगोलिक समूहों के बीच से चुनाव किया जाता है:
  - अफ्रीकी समूह,
  - एशिया-प्रशांत,
  - पूर्वी यूरोपीय देशों का समूह,
  - लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश, और

  - पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश।

अब्दुल्ला शाहिद के बारे में

- अब्दुल्ला शाहिद वर्ष 2018 के चुनाव के अनुसार मालदीव के विदेश मामलों के वर्तमान मंत्री हैं। उन्होंने 2009 से 2014 तक मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें 28 मई 2009 को पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो इस पद के सत्रहवें धारक हैं।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित स्थान

कैली

ऋषिगंगा नदी

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान

संयुक्त अरब अमीरात

केरल

जिआंगसू

1. कैली

- कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कोलंबिया में बढ़ती गरीबी और असमानता का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों में शामिल कई लोगों की 'कैली' में अराजक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई। कोलंबिया की संघीय सरकार ने शांति बरकरार रखने के लिए सैन्य बलों को कैली शहर भेजा है, जहां प्रदर्शनकारियों और सरकारी विरोध प्रदर्शनों का विरोध कर रहे आम नागरिकों के बीच झड़पों और सड़कें बाधित किए जाने के कारण हिंसात्मक घटनाएँ हुई थी।

विरोध के कारण

- अप्रैल 2021 में कोलंबिया के कैली और अन्य शहरों में, वेतन पर लगने वाली कर-सीमा में एक प्रस्तावित सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ था। सरकार का तर्क है कि इस कदम को आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाया गया हैं, लेकिन कोलंबियाई नागरिकों को इसके परिणामस्वरूप गरीबी में गिर जाने का डर सता रहा है। हालांकि, इस कर-योजना को वापस ले लिया गया था लेकिन सरकार विरोधी भावना ने पुलिस हिंसा, गरीबी और स्वास्थ्य संकट को विरोध प्रदर्शनों में शामिल कर लिया है।

कैली

- कैली क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा शहर है। यह प्रशांत महासागर तट से जुड़ा हुआ एकमात्र प्रमुख कोलंबियाई शहर है। कैली, कोका नदी के पश्चिम में स्थित कोका घाटी में बसा हुआ है।

2. ऋषिगंगा नदी

चर्चा का कारण

- भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार में ऋषिगंगा नदी के कैचमेंट एरिया के ग्लेशियरों में कोई दरार नहीं है और सब कुछ सामान्य है।

पृष्ठभूमि

- इसी वर्ष फरवरी में ऋषिगंगा कैचमेंट क्षेत्र में रौंथी पर्वत के हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से जल प्रलय आयी थी। अब इस कैचमेंट क्षेत्र (नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व) के रैणी गांव के लोग यह दावा कर रहे थे कि ग्लेशियर में दरारें दिख रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया पर ग्रामीणों का यह दावा वायरल हो रहा था। लिहाजा, किसी भी खतरे से निपटने व ग्रामीणों के दावों की सत्यता की परख के लिए उत्तराखंड शासन ने विशेषज्ञों की टीम को ऋषिगंगा कैचमेंट क्षेत्र के लिए रवाना किया।

ग्लेशियर

- ग्लेशियर बड़े आकार की गतिशील बर्फराशि होती है जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं और ये पृथ्वी की लगभग 10% भू-सतह को कवर करते हैं। ग्लेशियर की आकार और अवस्थिति के अनुसार इन्हें ग्लेशियर या महाद्वीपीय ग्लेशियर के रूप में बाँटा जाता है। पर्वतीय ग्लेशियर उच्च ऊँचाई से कम ऊँचाई की ओर गति करते हैं तथा महाद्वीपीय ग्लेशियर सभी दिशाओं में गति करते है।

ऋषिगंगा

- ऋषिगंगा या ऋषि गंगा, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नदी है। यह नंदा देवी पर्वत पर उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है जो आगे जाकर तपोवन रैणी गाँव के पास धौलीगंगा नदी में मिलती है।

3. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा का कारण

- हाल ही में, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने और उन्हें कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन उपायों का उद्देश्य अवैध शिकार को रोकना है।

मुख्य तथ्य

- इस प्रस्ताव के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में शिविरों और मुख्यालयों के बीच संचार में सुधार लाने के लिए काजीरंगा में 10 सैटेलाइट फोन कि व्यवस्था कि गयी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक पी शिवकुमार ने कहा कि ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में कई शिविर हैं जहां गश्ती दल अक्सर वायरलेस और सिग्नल व्यवधान का सामना करते हैं। इनके अनुसार 10 सैटेलाइट फोन कि व्यवस्था के बाद संचार माध्यम में मदद मिलेगी और वानिकी सुरक्षा दल अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

- 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान' असम राज्य के दो जिलों के अंदर बसा एक राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें एक जिला एक असम राज्य के नौगांव जिले का कलियाबोर उपखंड तथा दूसरा गोलाघाट जिले का बोकाघाट उपखंड शामिल है। पूरे विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी का दो-तिहाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। काजीरंगा में वैश्विक बाघों के संरक्षित क्षेत्रों के बीच सर्वोच्च घनत्व है और 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे

एक 'विश्व धरोहर स्थल' का भी दर्जा प्राप्त है। इसे पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की संरक्षित और निरंतर जैव विवधता इसे बेहद खास बनाती है, जिसकी वजह से इस पार्क में कई तरह के जीव पाए जाते हैं।

4. भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान

चर्चा का कारण

- हाल ही में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में चक्रवाती तूफान "यास" ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बुनियादी ढांचे को काफी प्रभावित किया है।

प्रमुख बिन्दु

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कोविड-19 महामारी के कारण पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। अब चक्रवात यास के कारण हुए नुकसान से इस राष्ट्रीय उद्यान को दोहरा झटका लगा है। चक्रवाती तूफान के दौरान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में भारी संख्या में पेड़ उखड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ की जैव-विविधता को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचा है। समुद्री ज्वार की लहरों व चक्रवाती तूफान से भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के मगरमच्छ प्रजनन और पालन केंद्र को क्षति पहुंची है। इसके अलावा, समुद्री ज्वार की लहरों से भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन की दृष्टि से विकसित बुनियादी ढाँचे को भी नुकसान पहुँचा है।
- चक्रवात यास से हुए क्षति के पश्चात लगभग 60 माइक्रो स्क्वॉड की व्यवस्था की गयी और साथ ही आसपास के जिलों से 10 विशेष टीमों की सहायता ली जा रही है, जिनमें से प्रत्येक में पांच से छह सदस्य शामिल हैं।

भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान

- भीतरकनिका 'भीतर' और 'कनिका' नामक दो ओडिया शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्रमशः 'आंतरिक' और 'असाधारण रूप से सुंदर' है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिलें में अवस्थित है। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एश्चुरियन मगरमच्छों के बड़े आवासों में से एक है। ज्ञातव्य है कि यह राष्ट्रीय उद्यान देश में प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है , यहाँ हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। यहाँ लगभग 55 प्रकार के मेंग्रोव पाए जाते हैं, जो मध्य एशिया और यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षियों को प्रजनन हेतु आवास प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ टीक, बाँस, पलास, बबूल जैसी अन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह उद्यान सफेद मगरमच्छ, किंग कोबरा, ब्लैक इब्स, फिशिंग कैट, डॉल्फिन, जंगली सूअर आदि जानवरों का निवास स्थान भी है।

5. संयुक्त अरब अमीरात

- हाल ही में भारतीय छात्रा तस्नीम असलम को उसकी मेधा और उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के लिए संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिष्ठित 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। ध्यातव्य है कि भारतीय अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया गया है।

गोल्डन वीजा क्या है?

- संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2019 में दीर्घकालीन निवास वीजा के लिए एक नई प्रणाली लागू की, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को, बिना किसी स्थानीय प्रायोजक के 'संयुक्त अरब अमीरात' में रहने, काम करने और अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इस नई व्यवस्था के तहत विदेशी नागरिकों को 100 प्रतिशत स्वामित्व के साथ अपना व्यवसाय करने की भी सुविधा उपलब्ध होती है।
- यह गोल्डन वीजा 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं और इनका नवीनीकरण अपने आप हो जाता है। गोल्डन वीजा प्रणाली, मुख्यत: निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति जैसे शोधकर्ता, चिकित्सा पेशेवर, विज्ञान एवं अन्य ज्ञान-क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति तथा असाधारण छात्रों को प्रदान किया जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात के बारे में

- संयुक्त अरब अमीरात मध्यपूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन् 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। 1971 में फारस की खाड़ी के सात शेख राज्यों आबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसमें रास अल खैमा 1972 में शामिल हुआ।
- 1971 के संविधान के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात की राजनैतिक व्यवस्था आपस में जुड़े कई प्रबंधकीय निकायों से मिलकर बनी है। इस्लाम देश का राष्ट्रीय धर्म और अरबी राष्ट्रीय भाषा है। तेल भंडार के मामले में दुनिया का छठवां सबसे बड़ा देश संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था मध्यपूर्व में सबसे विकसित है।

6. केरल

- हाल ही में केरल राज्य के गांवों में अकेले रहने वाले वृद्ध नागरिकों के लिए 'बेल ऑफ फेथ' (Bell of Faith) अर्थात 'धर्म-घंटी' योजना शुरू की गई है। इससे पहले भी यह योजना केरल के शहरी परिवारों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है।

'बेल ऑफ फेथ' योजना के बारे में

- 'बेल ऑफ फेथ' योजना, केरल राज्य की 'सामुदायिक पुलिसिंग योजना' के अनुरूप परिकल्पित एक वृद्धों की सुरक्षा संबंधी योजना है। इसके तहत बुजुर्ग नागरिक संकट की स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से 'तेज आवाज' का उपयोग करके अपने पड़ोसियों को अपनी मदद के लिए बुला सकते है। केरल में वर्ष 2018 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

बेल ऑफ फेथ' योजना का महत्व

- 'बेल ऑफ फेथ' योजना, बुजुर्गों की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामुदायिक भागीदारी का एक बेहतर उदाहरण स्थापित करती है। COVID-19 महामारी के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति आशंकित रहने वाले वृद्धों के लिए यह योजना बहुत सहायक हो सकती है।

केरल के बारे में

- केरल भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी तिरुअनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) है। मलयालम् यहां की मुख्य भाषा है। हिन्दूओं तथा मुसलमानों के अलावा यहां ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण - पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्रि पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित चार राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पोंडिच्चेरी (पुतुच्चेरी) राज्य का मय्यर्षि (माहि) नाम से जाता जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अन्तर्गत स्थित है।

7. जिआंगसू

- हाल ही में चीन के पूर्वी प्रांत जिआंगसु (Jiangsu) में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया था।

मुख्य बिंदु

- एक 41 वर्षीय व्यक्ति बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मानव मामला बन गया है। उन्हें 28 मई को H10N3 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस का पता चला था। यह अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि वह वायरस से कैसे संक्रमित हुए।

H10N3 बर्ड फ्लू के बारे में

- **H10N3** पोल्ट्री में कम रोगजनक या कम गंभीर वायरस है। इसके बड़े पैमाने पर संचरण का जोखिम भी बहुत कम है। लगभग 40 वर्षों में, पूरे एशिया और उत्तरी अमेरिका में जंगली पक्षियों या जलपक्षी में इस वायरस के केवल 160 आइसोलेट्स की सूचना मिली थी। मुर्गियों में इसका पता नहीं चला है।

लक्षण

- इसके लक्षणों में हल्का से तेज बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं। यह लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 1-4 दिन बाद शुरू होते हैं और 2-8 दिनों तक रहते हैं। यह निमोनिया, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम, एन्सेफलाइटिस, मेनिन्जाइटिस और अस्थमा जैसी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के बिगड़ने का कारण भी बन सकता है।

जिआंगसू प्रांत के बारे में

- जिआंगसू (Jiangsu) जनवादी गणराज्य चीन के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रांत है। इसका नाम 'जिआंग' (जो नानजिंग का पुराना नाम था) और 'सू' (जो सूझोऊ शहर के नाम का पहला शब्दांश है) को जोड़कर बनाया गया था। चीन के सभी प्रान्तों में से जिआंगसू में सबसे घनी आबादी है। जिआंगसू की राजधानी नानजिंग शहर है। जिआंगसू का पीले सागर से 1000 किमी से भी लम्बा किनारा लगता है और प्रान्त के दक्षिणी भाग से यांग्त्से नदी गुजरती है।

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस : 2021

हिंदी पत्रकारिता दिवस

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विश्व दुग्ध दिवस

विश्व साइकिल दिवस

1. एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- एमनेस्टी इंटरनेशनल डे (Amnesty International Day) प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1961 में लंदन में इस गैर-सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी।

परिचय

- एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेनेन्सन (Peter Benenson) द्वारा ब्रिटिश अखबार 'द ऑब्जर्वर' में 'द फॉरगॉटन प्रिजनर्स' लेख के प्रकाशन के बाद की गई थी। 'द फॉरगॉटन प्रिजनर्स' में दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने कि चर्चा कि गई थी, जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक, या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये कैद किया गया था।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। इस संस्थान को 1977 में 'शोषण के खिलाफ' अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया था।

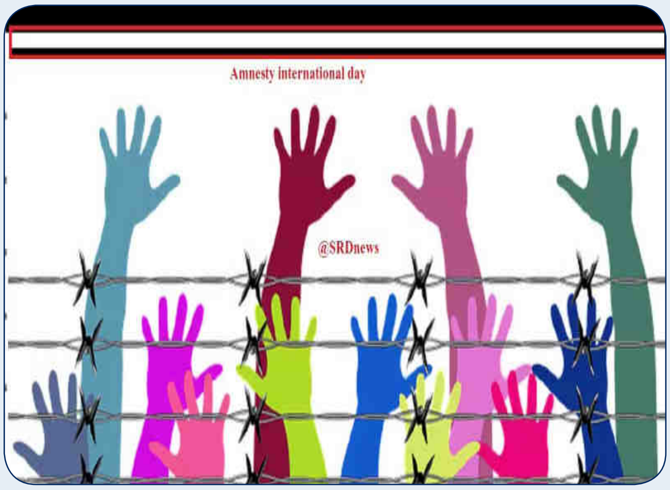

एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्य

- एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए आवाज उठाना है। यह संगठन मुख्य तौर पर मानवाधिकार के विषय पर अनुसंधान करता है, मानव अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को रोकने के लिये कार्रवाई करता है तथा उन लोगों के लिये न्याय की मांग करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके।

2. विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021

- विश्व भर में लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने और उससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को दुनियाभर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से होती बढ़ोतरी के कारण विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी। हालांकि पहली बार 7 अप्रैल 1988 को यह दिवस मनाया गया था, लेकिन उसके बाद 31 मई 1988 को एक प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद से हर साल 31 मई को यह दिवस मनाया जाने लगा।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम

- प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस को एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम "छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध (Commit to Quit)" है। ये थीम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए तंबाकू छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करता है। ज्ञातव्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक तंबाकू के उपयोग से हर साल करीब 80 लाख लोग मारे जाते हैं।
- किसी भी तंबाकू के धूम्रपान से फेफड़े की क्षमता कम हो जाती है और श्वास संबंधी बीमारियों की गंभीरता बढ़ जाती है। कोविड-19 जैसी महामारी में यह तथ्य और भी प्रासंगिक हो जाता है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य

- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य धूम्रपान के विभिन्न तरीकों जैसे, सिगरेट पीना, खैनी चबाना, गुटखा खाना व तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना और उन्हें जागरूक करना होता है।

3. विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस : 2021

- हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस (World Menstrual Hygiene Day), माहवारी से जुड़ी साफ-सफाई डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसे मनाने का उद्देश्य, लड़कियों/महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छता (Cleanliness) और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
- ज्ञातव्य है कि महिलाओं के मासिक धर्म आमतौर पर 28 दिनों के भीतर आते हैं, ये पांच दिनों तक रहता है। इसी कारण इस खास दिवस को मनाने के लिए साल के पांचवें महीने मई की 28 तारीख को चुना गया था।

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम

- इस वर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम "एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेन्सट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ" यानी "मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य में कार्रवाई और निवेश" है।

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का महत्व

- पहले के समय में इस विषय पर कोई खुलकर बात नहीं करता था। ऐसे में लड़कियाँ /महिलाएं स्वच्छता से संबन्धित चर्चा के लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार नहीं होती थीं और वे न तो इसके प्रति जागरूक होती थीं और न ही इससे होने वाली बीमारियों के बारे में ही जानती थीं। ऐसे में इस दिवस के बहाने लोगों को इस ओर जागरूक किया जाता है कि मासिक धर्म कोई अपराध नहीं, यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। ऐसे में इस पर घर और समाज में खुलकर बात करने की जरूरत पर बल दिया जाता है, ताकि इस दौरान स्वच्छता के महत्व को भी समझा जा सके।

4. हिंदी पत्रकारिता दिवस

- हिंदी भाषा में 'उदन्त मार्तण्ड' के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता (अब कोलकाता) से निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता (अब कोलकाता) से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। यह दिवस भारतीय पत्रकारों खासतौर पर हिंदी भाषी पत्रकारों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, साथ ही यह दिवस समाज के विकास में पत्रकारों के योगदान और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्त्व निर्धारण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है।
- परतंत्र भारत की राजधानी कलकत्ता में अंग्रजी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बाद बांग्ला और उर्दू का प्रभाव था। इसलिए उस समय अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे, लेकिन हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र मौजूद नहीं था। अलबत्ता 1818-19 में कलकत्ता स्कूल बुक के बांग्ला समाचार पत्र 'समाचार दर्पण' में कुछ हिस्से हिंदी में भी होते थे।

'उदंत मार्तण्ड'

- 30 मई, 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' के प्रकाशन का शुभारंभ किया था। यह साप्ताहिक अखबार था, जो हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। 'उदंत मार्तण्ड' का शाब्दिक अर्थ है 'समाचार-सूर्य'। 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को किया जाता था। पुस्तकाकार में छपने वाले 'उदंत मार्तण्ड' के केवल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके और दिसंबर, 1827 में वित्तीय संसाधनों के अभाव में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस समाचार पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक 'मध्यदेशीय भाषा' कहते थे। कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल पेशे से एक वकील थे और औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में वकील के तौर पर कार्य कर रहे थे।
- इतिहासकार पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रकारिता का जनक मानते हैं। वहीं बंगाल से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने इतिहास में एक लंबा सफर तय किया है। 1826 ई. में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब यह कल्पना करना मुश्किल था कि भारत में पत्रकारिता भविष्य में इतना लंबा सफर तय करेगी।

5. संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- "संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of United Nations Peacekeepers)" प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी और उन लोगों की स्मृति का सम्मान करने के लिए जिन्होंने शांति के लिए अपनी जान गंवाई।
- इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर, 2002 को नामित किया गया था, और पहली बार 2003 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम: "स्थायी शांति का मार्ग: शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना (The road to a lasting peace- Leveraging the power of youth for peace and security)" है।

मुख्य बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3,900 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान गंवाई है।

29 मई ही क्यों?

- पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई, 1948 को स्थापित किया गया था। इस शांति रक्षा मिशन की स्थापना युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए की गई थी जिस पर इजरायल और अरब के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

युद्धविराम समझौता (Armistice Agreement)

- युद्धविराम समझौता एक ऐसा समझौता है जो लड़ाई को रोकने के लिए हस्ताक्षरित किया जाता है। युद्धविराम दिवस (Armistice Day) 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह प्रथम विश्व युद्ध के सहयोगियों और जर्मन साम्राज्य के बीच संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए है।

6. विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day)

- प्रत्येक वर्ष 01 जून को विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविक और आर्थिक विकास का योगदान है।
- विश्वभर में दूध से पोषित हो रहे लोगों और इससे चलने वाली आजीविका के कारण इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्वभर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। दूध और दूध से बने पदार्थों के फायदे और इनकी खासियत बताने हेतु इस दिन को शुरू किया गया था।

विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम

- इस वर्ष की थीम 'पर्यावरण, पोषण और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता' (sustainability in the dairy sector along with empowering the environment] nutrition] and socio&economic) पर केंद्रित है।

विश्व दुग्ध दिवस का इतिहास

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की थी। विश्व दुग्ध दिवस 01 जून को ही चुना गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसे मान्यता दिए जाने से पहले इसी दिन बहुत से देश विश्व दुग्ध दिवस पहले से ही मना रहे थे।

विश्व दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं?

- विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरुक करना है। दूध से सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता की जागरुकता बढ़ाने के लिये विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 01 जून 2001 को मनाया गया था।

7. विश्व साइकिल दिवस

- विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। यह दिवस लेसजेक सिबिल्स्की के कैंपेन व तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों के समर्थन का परिणाम है। पिछले तीन सालों में इस दिन को मनाने के लिए एक विषय तय किया जाता है, जिसका ध्यान रखते हुए सभी देश इस दिन को मनाते हैं।

विश्व साइकिल दिवस का इतिहास

- अप्रैल 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 3 जून को 'विश्व साइकिल दिवस' मनाने का निर्णय लिया। यह दिवस लेसजेक सिबिल्स्की के कैंपेन और तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों के समर्थन का परिणाम है। पिछले तीन सालों में इस दिन को मनाने के लिए एक विषय तय किया जाता है, जिसका ध्यान रखते हुए सभी देश इस दिन को मनाते हैं।

क्यों मनाया जाता है?

- जब से गाड़ियों का उपयोग होने लगा और लोगों की दिनचर्या में से समय की कमी होने लगी तब से लोगों ने साइकिल चलाना कम कर दिया है इसलिए साइकिल के इस्तेमाल के प्रति लोगों और बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों, ऑफिस, समाज, सोसायटी आदि में साइकिल चलाने के लिए सभी को जागरूक करने के साथ ही, इसके लोगों के बारे में भी बताया जाता है।

विश्व साइकिल दिवस 2021 का विषय

- इस बार 'वर्ल्ड साइकिल डे 2021' की थीम 'यूनीकनेस, वर्सेटैलिटी, लॉन्गिविटी ऑफ द बाइसिकल एंड सिंपल, सस्टेनेबल, एफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन' है।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 संदिग्ध मतदाता अथवा डी-वोटर

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में असम के छह हिरासत केन्द्रों (detention centres) में से एक हिरासत केन्द्र में बचे अंतिम व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। हालांकि अभी अन्य पांच हिरासत केंद्रों में बंद लगभग 170 व्यक्तियों को रिहा किया जाना बाकी है।

2. पृष्ठभूमि

- 2015 में मनिंद्र दास को 'डी-वोटर' (D-voter) अथवा संदिग्ध मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया था और बाद में एक विदेशी अधिकरण (Foreigners' Tribunal) द्वारा एकतरफा निर्णय में उन्हे 'विदेशी' (foreigner) घोषित किया गया था। वह दक्षिणी असम की बराक घाटी में सिलचर सेंट्रल जेल के भीतर नजरबंदी केंद्र में बंद थे।

3. संदिग्ध मतदाता अथवा डी-वोटर

- भारत निर्वाचन आयोग ने 1997 में 'संदिग्ध मतदाता' प्रणाली पेश की थी। यह ऐसे लोगों की सूची होती है जो अपनी भारतीय नागरिकता के पक्ष में सबूत नहीं पेश कर पाते। असम के अलावा यह सूची देश के किसी भी हिस्से में नहीं है।
- असम में 'राष्ट्रीय नागरिक पंजी' (National Register of Citizens– NRC) को तैयार करने के दौरान जिन व्यक्तियों की नागरिकता संदेहास्पद थी या जो व्यक्ति नागरिकता प्रमाण-पत्रों को पेश नहीं कर पाया था, उन्हें 'डी-वोटर' के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।
- 'डी' वोटर असम की मतदाता सूची में बने रहते हैं, किन्तु वे तब तक चुनाव में मतदान नहीं कर सकते जब तक कि उनके मामले का फैसला विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा नहीं कर दिया जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनावों में लगभग 1.2 लाख 'डी' वोटर्स ने भाग नहीं लिया।
- 'संदिग्ध मतदाता' या 'संदिग्ध नागरिकता' को नागरिकता अधिनियम, 1955 या नागरिकता नियम 2003' में भी परिभाषित नहीं किया गया है।

4. विदेशी अधिकरण

- फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार केवल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास ही है।
- फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध-न्यायिक निकाय हैं। विदेशी अधिनियम 1946 (Foreigners Act 1946) और विदेशी (ट्रिब्यूनल) के आदेश 1964 (Foreigners (Tribunals) Order 1964) के प्रावधानों के तहत केवल विदेशी ट्रिब्यूनल को ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।
- फॉरेनर एक्ट, 1946 की धारा 3 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा विदेशियों के भारत में प्रवेश को निषिद्ध या विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है। इसी धारा 3 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 23 सितंबर 1964 को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 जारी किया था।

5. घोषित विदेशी एवं उसके अधिकार

- फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नागरिकता को सिद्ध करने का भार बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध अप्रवासी घोषित किए गए व्यक्ति पर ही होता है। इसलिए शक की स्थिति में किसी को अपनी नागरिकता साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो घोषित विदेशी' वे व्यक्ति होते हैं, जो राज्य बार्डर पुलिस द्वारा अवैध अप्रवासी के रूप में चिह्नित किए जाने पर अपनी नागरिकता का प्रमाण देने में विफल रहते है, इस प्रकार के प्रकरण को बार्डर पुलिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को संदर्भित कर देती है।
- फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग चयनात्मक तरीके से करता है। ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, स्कूल के प्रमाण पत्र, निकाहनामा और गांव पंचायत द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को प्राइवेट दस्तावेज माने जाने के कारण इन सभी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 से 65 के अंतर्गत ग्राह्य (ऐडमिसिबल) नहीं माना जाता है।
- विदेशी (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2019 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अधिकरणों में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे पूर्व केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के विरुद्ध विदेशी अधिकरण में याचिका दायर कर सकता था।

02 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी

1. चर्चा में क्यों?

- भारत दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचारों इटोलिजुमैब (Itolizumab) एवं टोसीलिजुमैब (Tocilizumab) की कमी का सामना कर रहा है।

2. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी क्या है?

- हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में, प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी बनाने में सक्षम होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम रूप से बनाए गए एंटीबॉडी हैं जिनका उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करते हैं।
- अन्य शब्दों में कहें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस व्यक्ति के शरीर से ली जाती है जो कोरोना संक्रमण के इलाज के बाद स्वस्थ हो चुका है। उसके शरीर में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं। उन एंटीबॉडीज के माध्यम से लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार किया जाता है। संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों के रक्त में लगभग एक सप्ताह के बाद ये एंटीबॉडी बनती है।
- प्रयोगशाला में, श्वेत रक्त कोशिकाओं (white blood cells) को एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाने पर 'मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज' का निर्माण किया जा सकता है। कोविड -19 के मामले में, 'मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज' तैयार करने के लिए वैज्ञानिक प्रायः SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन (spike protein) का उपयोग करते है। यह 'स्पाइक प्रोटीन' मेजबान कोशिका में वायरस के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है।

3. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण कैसे?

- एंटीबॉडीज' को अधिक मात्रा में निर्मित करने के लिए, एकल श्वेत रक्त कोशिका का प्रतिरूप (Clone) बनाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी की समरूप प्रतियां तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है।
- दूसरे शब्दों में कहें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी की आइडेंटिकल कॉपी हैं जो एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करती हैं। इस उपचार का उपयोग पहले इबोला और एचआईवी जैसे संक्रमणों के इलाज के लिए किया गया है।

4. कोविड 19 के खिलाफ इसका प्रयोग

- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 से उबरने वाले अधिकांश लोग वायरस के खिलाफ एक रक्षा तंत्र के रूप में एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं और अब वैज्ञानिकों ने पाया कि वे प्रयोगशाला में इन एंटीबॉडी का काफी उत्पादन कर सकते हैं।
- अध्ययनों के अनुसार कोविड-19 के लिए यह 'एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट' हल्के से मध्यम और गंभीर बीमारी वाले मामलों को बढ़ने से रोक सकता है जिसके लिए 70% मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

5. इटोलिजुमाब

- बेंगलुरु स्थित बायोफार्मा कंपनी बायोकॉन ने सोराइसिस (psoriasis) नामक त्वचा रोग के इलाज के लिए इटोलिजुमैब विकसित किया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने जून 2020 में इसे देश में 'प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग' के लिए अधिकृत किया था।
- इटोलिजुमैब सीडी 6 (एक प्रोटीन जो टी-सेल के बाहरी झिल्ली में पाया जाता है) को लक्षित करता है। टी-सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

6. टोसीलिजुमैब

- इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को गठिया रोग संबंधित विकारों के इलाज के लिए एफडीए (Food and Drug Administration) से अनुमोदन प्राप्त है। यह एंटीबॉडी भी IL-6 गतिविधि को रोकता है, और इसलिए गंभीर कोविड के लिए संभावित चिकित्सा के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- कोरोना महामारी की शुरुआत में चीन और इटली के डाक्टरों ने मरीज पर टोसीलिजुमैब दवा का इस्तेमाल किया गया। इस दवा को त्वबीम द्वारा बाजार में Actemra के नाम से बेचा जाता है। ये Cytokine को रोक देती है जिसको इंटरल्यूकिन-6 या IL-6 कहा जाता है। गौरतलब है कि संक्रमण से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम साइटोकिन (immune system produces Cytokine) नामक प्रोटीन बनाता है। कई बार ये प्रोटीन इतनी ज्यादा मात्रा में बनता है कि ये एंटीजन की बजाए स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला बोल देता है। यही साइटोकिन स्टॉर्म (Cytokine Storm) है।

03 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) योजना को फिर से शुरू करने की मांग की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' का प्रयोग करते हुए 'सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) योजना को निलंबित कर दिया था।

2. आवश्यकता क्यों?

- लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार COVID-19 की दूसरी लहर और चक्रवाती तूफान यास के कारण बंगाल और ओडिशा में हुई तबाही के कारण MPLAD फंड को शुरू किया जाये ताकि प्रभावित लोगों की सहायता हो सके।
- COVID-19 की दूसरी लहर को देखते हुए दस्ताने, मास्क और ऑक्सीमीटर जैसी छोटी वस्तुओं के अलावा पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर आदि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है

- एमपीलैड योजना 1993 में शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्यों के बारे में जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प दिया गया है।
- संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिन्हें आमतौर पर MPLAD फंड के रूप में जाना जाता है, का मुख्य उद्देश्य विकासात्मक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना है, जिसकी सिफारिश संसद सदस्यों द्वारा की जाएगी।
- एमपीलैड पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिये वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए हैं। इस योजना के माध्यम से संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिये सुझाव दे सकते हैं।
- एमपीलैड के लिए दिशानिर्देश, जिसे मंत्रालय ने निर्धारित किया है, जिसमें अलग-अलग विकास कार्यों के सुझाव दिए गए है। इसमें रेलवे हॉल्ट स्टेशनों का निर्माण, मान्यता प्राप्त शैक्षिक निकाय, सहकारी समितियाँ और वित्तीय सहायता के साथ अन्य संगठन प्रदान करना, वर्षा जल संचयन प्रणाली और साथ ही CCTV कैमरे आदि लगाना आदि शामिल किया गया है।

4. एमपीलैड कितना सफल रहा

- हाल में सरकार ने बताया कि एमपीलैड के तहत जारी कुल राशि में 5275 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। साल 2014 में चुने गये सांसदों ने 2004 और 2009 में चुने गये सांसदों के मुकाबले अपने फंड का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था।
- एमपीलैड योजना के तहत 15वीं से 16वीं लोकसभा के बीच खर्च न की जानेवाली राशि में 214 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि, सांसद द्वारा स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और सड़कों आदि के विकास के लिए इस राशि को खर्च किया जाना चाहिए।
- इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक हितों को ध्यान में रख कर इस राशि का इस्तेमाल किया जाये, लेकिन अक्सर यह होता नहीं।
- संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सांसदों को दी जानेवाली इस राशि से जुड़ा मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में गया, तो न्यायालय को बताया गया कि सांसद तो केवल विकास कार्यों के लिए अपना सुझाव देते हैं। विकास कार्य को करने की जिम्मेदारी तो सरकारी अधिकारियों की होती है। व्यावहारिक तौर पर देखें, तो ऐसा कौन सा आइएएस ऑफिसर है, जो अपने क्षेत्र के सांसद की बात नहीं मानेगा।
- इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से सांसद निधि को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं। जमीनी स्तर पर विकास किये जाने के लिये आवंटित सांसद निधि की रकम आमतौर पर राजनीतिक लाभ के लिये खर्च की जाती है या फिर राजनेताओं के अपने काम में खर्च होती है।
- प्रशासनिक आयोग भी सांसद निधि समाप्त करने की सिफारिश कर चुका है। आयोग का तर्क है कि सांसदों का काम प्रशासनिक खर्च पर नजर रखना है, न कि स्थानीय निकायों के काम करना।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद निधि पर निगरानी रखने के लिये थर्ड पार्टी द्वारा निगरानी रखने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार का आकलन है कि सांसद निधि के इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं है।

5. आगे की राह

- अब जबकि एमपीलैड योजना को फिर से शुरू करने की मांग की गयी है, ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना महामारी को देखते हुए सांसद अपने निधि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें।
- एमपीलैड योजना को फिर से शुरू करने से कोविड 19 को समाप्त करने मे मदद तो मिलगी ही साथ ही स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृह किया जा सकेगा।
- बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में एमपीलैड के माध्यम से कई कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

04 गाजा पर हमले को 'युद्ध अपराध' का दर्जा दिया जाना

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख (UN human rights chief) मिशेल बैचलेट ने कहा है कि हमास चरमपंथी समूह शासित गाजा पट्टी पर इजरायल के घातक हवाई हमले 'युद्ध अपराध' (war crimes) की श्रेणी में आते हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- मिशेल बैचलेट ने कहा कि संघर्ष के दौरान हमास की ओर से अंधाधुंध रॉकेट दागना भी युद्ध के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसका प्रस्ताव 24/9 मतों से पारित हो गया है। इसके तहत युद्ध अपराधों व अन्य दुर्व्यवहारों के लिए जांच आयोग गठित किया जाएगा।
- हमास और इजरायल के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष में गाजा में 66 बच्चों और 39 महिलाओं समेत 248 लोगों की मौत हो गयी। वहीं, इजराइल में भी दो बच्चे समेत 12 लोगों ने जान गंवाई।
- मिशेल बैचलेट ने इजराइल से जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पारदर्शी, निष्पक्ष जांच कराने को कहा है।
- हालांकि इस प्रस्ताव में हमास या अन्य फलस्तीनी आतंकी समूहों का जिक्र नहीं होने के कारण आलोचकों ने इसमें संतुलन की कमी का हवाला भी दिया है। प्रस्ताव पर हुए मतदान में 14 देश वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है।
- यूएनएचआरसी द्वारा गठित जांच आयोग गाजा संघर्ष की जड़ तक जांच करेगा। पारित हुए प्रस्ताव के मुताबिक, अस्थिरता, हिंसक संघर्ष के बचाव, भेदभाव और दमन की भी जांच होगी। इसमें कुछ देशों से हथियारों की आपूर्ति को लेकर भी टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि यह मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर हनन है।

3. युद्ध अपराध क्या है?

- अंतरराष्ट्रीय कानून असैन्य नागरिकों या नागरिक इलाकों में अविवेकपूर्ण बल के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
- युद्ध अपराध निम्न स्थिति में माना जाता है- सैनिकों द्वारा युद्ध के मान्य नियमों को ना मानना, ऐसे लोग जो शत्रु की सेना के सदस्य नहीं हैं लेकिन हमला कर रहे हैं तो वो भी युद्ध अपराध है। इसके अतिरिक्त जासूसी तथा युद्ध से जुड़ा विश्वासघात एवं लूटपाट को अंजाम देना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है।

5. जिनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों के पालन की निगरानी

- इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रास की अंतर्राष्ट्रीय समिति आमतौर पर निगरानी की भूमिका को निभाती है।

4. जिनेवा कन्वेंशन

- जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रास के मुताबिक जेनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि युद्धबंदियों (POW) के क्या अधिकार हैं। साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है।
- जेनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को डराया-धमकाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता। इस संधि के मुताबिक युद्धबंदियों (POW) पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के बाद युद्धबंदियों को वापस लैटाना होता है। कोई भी देश युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता।

05 व्हाट्सएप बनाम सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि नए आईटी नियमों के तहत व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन, यानी जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया, का पता रखना अनिवार्य होगा।

2. मोबाइल मैसेजिंग सर्विस कंपनी व्हाट्सएप का तर्क

- ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत 'निजता के मौलिक अधिकार' का उल्लंघन करते हैं।
- के.एस. पुट्टस्वामी मामले में शीर्ष अदालत द्वारा 'निजता का अधिकार' संविधान के तहत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार बताया गया है।
- पहचान जाहिर न करने का अधिकार (right to anonymity) हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करते हुए कहा है, कि, 'पहचान जाहिर न करने का अधिकार', 'निजता के अधिकार' में शामिल है।
- भारत में 'सूचना के मूल जनक' की पहचान जाहिर करने को शुरू से महत्वपूर्ण नुकसान होगा, जिसमे 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ना' तथा विधिसम्मत अभिव्यक्ति को भयभीत करना भी शामिल होगा।
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन: निजता, अलंघनीय रूप से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा होती है, क्योंकि यह लोगों को अलोकप्रिय, लेकिन विधिसम्मत, विचारों को व्यक्त करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रतिशोध से बचाती है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थारनों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021के बारे में

- सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों से मिली शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म को ऐसे कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर इसे हटाना होगा या उस तक पहुंच निष्क्रिय करनी होगी, जो किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्रों को उजागर करते हों, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र या यौन क्रिया में दिखाते हों। ऐसी शिकायत या तो किसी व्यक्ति द्वारा या उनकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है।
- स्वैच्छिक रूप से अपने खातों का सत्यापन कराने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं को अपने खातों के सत्यापन के लिए एक उचित तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म द्वारा ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो भारत की सम्प्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक आदेश, दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंधों आदि के हित के संबंध में किसी कानून के तहत निषेध हो।
- यह संहिता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश सुझाती है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से संबंधित डिजिटल मीडिया आचार संहिता का पालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पांच उम्र आधारित श्रेणियों- यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+, और ए (वयस्क) के आधार पर कंटेंट का खुद ही वर्गीकरण करना होगा।
- डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों को भारत में एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो खुद को मिली शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेह होगा। अधिकारी खुद को मिली हर शिकायत पर 15 दिन के भीतर फैसला लेगा।
- डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों की एक या ज्यादा स्व-विनियामकीय संस्थाएं हो सकती हैं। ऐसी संस्था की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा और इसमें छह से ज्यादा सदस्य होंगे। इस संस्था को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा।
- डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों हेतु भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक निरीक्षण तंत्र विकसित करेगा। यह आचार संहिताओं सहित स्व-विनियमित संस्थाओं के लिए एक चार्टर का प्रकाशन करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन करेगा।

06 मेकेदातु पर एनजीटी द्वारा पैनल गठित

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति के. रामकृष्णनकी एनजीटी पीठ ने पैनल को 5 जुलाई, 2021 या उससे पहले एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

2. समिति के बारे में

- कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड; MoEF, बैंगलोर के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य इस समिति के सदस्य हैं।
- एनजीटी ने समिति को यह पूछने का निर्देश दिया है कि क्या वन विभाग और MoEFIs वन संरक्षण अधिनियम और EIA अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने से पहले यह कथित निर्माण गतिविधि शुरू की गई है।

3. मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना के बारे में

- मेकेदातु का अर्थ, बकरी की छलांग (goat's leap) होता है। मेकेदातु एक गहरा खड्ड (gorge) है तथा यह कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित है।
- मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना में रामनगरम जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलित जलाशय का निर्माण शामिल है।
- इसमें बिजली उत्पादन के अलावा बेंगलुरू और रामनगरम जिलों में पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- इस परियोजना की कल्पना 2013 में की गई थी और 2017 में कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने इसे लागू करने का फैसला किया।
- हालाँकि, यह परियोजना उस समय विवादों में घिर गई, जब तमिलनाडु ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि यह परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन करती है।

4. मेकेदातु परियोजना और तमिलनाडु का विरोध

- परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरू शहर के लिए पीने के उद्देश्यों के लिए पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट (मेगावाट) बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है।
- तमिलनाडु ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है, कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा।
- तमिलनाडु का यह भी कहना है कि यह परियोजना उच्चतम न्यायालय और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम आदेश का उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार- अंतर-राज्यीय नदियों के पानी पर कोई भी राज्य विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है, और न ही किसी राज्य के लिए अन्य राज्यों को इन नदियों के पानी से वंचित करने का दावा करने अधिकार है।

5. कावेरी नदी के बारे में

- कावेरी का उद्गम दक्षिण-पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है।
- इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
- यह नदी बेसिन, तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत हैं तमिलनाडु, 43,868 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक, 34,273 वर्ग किलोमीटर, केरल, 2,866 वर्ग किलोमीटर और पुदुचेरी।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, हेमावती, लक्ष्मीतीर्थ, काबिनी, अमरावती, नोयल और भवानी हैं।
- कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है।
- तमिलनाडु में सिंचाई और जल विद्युत प्रयोजन हेतु कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध का निर्माण किया गया था।

07 जर्मनी द्वारा नामीबिया में औपनिवेशिक काल के दौरान हुए नरसंहार की स्वीकारोक्ति

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जर्मनी ने माना है कि उसने नामीबिया में उसके औपनिवेशिक शासन के दौरान जनसंहार हुआ था। इसके साथ ही जर्मनी ने नामीबिया को एक अरब यूरो देने का वादा किया है जिसके जरिए जनसंहार पीड़ितों के वशंजों की मदद की जाएगी।
- नामीबिया ने इसका स्वागत करते हुए इसे 'पहला कदम' बताया है। लेकिन कई सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि क्या वित्तीय मदद से वे जख्म भर सकते हैं जो एक सदी से भी ज्यादा समय से रिस रहे हैं।

2. तत्कालीन घटना क्रम

- नामीबिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है जो 1884 से 1915 तक जर्मनी का गुलाम रहा। नामीबिया में जर्मन शासन की बागडोर संभाल रहे अधिकारियों ने 1904 से 1908 के बीच स्थानीय हरेरो और नामा कबीलों के कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकार इसे बीसवीं सदी का पहला जनसंहार भी कहते हैं।
- जर्मन उपनिवेश के दौरान नामीबिया को जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका कहा जाता था। जर्मनी का शासन खत्म होने के बाद उस पर 75 साल तक दक्षिण अफ्रीका का नियंत्रण रहा और 1990 में वह आखिरकार एक स्वतंत्र देश बना।

3. इसके क्या कारण थे?

- नामीबिया में जर्मन औपनिवेशिक शासन के दौरान तनाव की शुरुआत 1904 में हुई, जब स्थानीय हरेरो कबीले के लोगों को मवेशियों और जमीन से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, उनकी स्त्रियों को भी चुराया गया। फिर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उनके लड़ाकों ने चंद दिनों के भीतर 123 जर्मन लोगों की जान ले ली। कुछ समय बाद नामा लोग भी इस बगावत में शामिल हो गए।
- अक्टूबर 1904 में इस बगावत को कुचलने के लिए बर्लिन से जर्मन जनरल लोथार फॉन ट्रोथा को भेजा गया जिसने हरेरो लोगों के खिलाफ 'समूल विनाश आदेश' पर हस्ताक्षर किए। उसने कहा, जर्मन सीमाओं के भीतर जो भी हरेरो व्यक्ति है, चाहे उसके पास बंदूक हो या ना हो, मवेशी हो या नहीं हो, उसे गोली मार कर मौत के घाट उतारा जाएगा।

4. वाटरबर्ग की लड़ाई 1904

- अगस्त 1904 में वाटरबर्ग की लड़ाई में लगभग 80 हजार हरेरो बोत्सवाना की तरफ भाग खड़े हुए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जर्मन सैनिकों ने कालाहारी रेगिस्तान के दूसरे छोर तक उनका पीछा किया। इनमें से सिर्फ 15 हजार लोग ही बच पाए थे।
- माना जाता है कि 1904 से 1908 के बीच कम से कम 60 हजार हरेरो और 10 हजार नामा लोगों को कत्ल किया गया।
- औपनिवेशिक सैनिकों ने बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी पर लटकाया, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को रेगिस्तान में धकेल दिया, जहां हजारों लोग प्यास से ही मर गए।
- नाजी जनसंहार से दशकों पहले नामीबिया में यातना शिविर बनाए गए, जहां लोगों को मौत के घाट उतारा गया।
- सैकड़ों हरेरो और नामा लोगों की मौत के बाद उनके सिर काटे गए और उनकी खोपड़ियां बर्लिन में रिसर्चरों को दी गई, जो काले लोगों पर गोरे लोगों की नस्लीय सर्वोच्चता साबित करने के लिए तथाकथित ष्प्रयोगष कर रहे थे।
- 1924 में जर्मनी के एक म्यूजियम में इनमें से कुछ हड्डियां एक अमेरिकी संग्रहकर्ता को भी बेची थीं जिसने बाद में उन्हें न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को दान कर दिया था।
- बीसवीं सदी की शुरुआत में नामीबिया की आबादी में हरेरो लोगों की हिस्सेदार 40 प्रतिशत थी। आज वे देश की आबादी में सात प्रतिशत से भी कम हैं।

5. आगे क्या होगा?

- इस हालिया स्वीकारोक्ति के पश्चात, जर्मनी द्वारा एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद दोनों देशों की संसदों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जाएगी।
- फिर, जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर द्वारा नामीबियाई संसद के सामने जर्मनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए आधिकारिक रूप से माफी माँगी जाएगी।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. मानसून की शुरुआत में देरी

प्र. मानसून का भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मानसून' जिसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द 'मौसिम' से बना है जिसका अर्थ 'ऋतु' होता है।
2. दक्षिण-पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुँच जाती हैं।
3. मध्य जुलाई तक सम्पूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3

(C) 1 , 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

2. कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण हेतु पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन

प्र. पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने हेतु विशेष रूप से डिजाइन की गई एक योजना है।
2. यह कोष 18 वर्ष की आयु से अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता / छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा।
3. 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि मिलेगी।
4. स्कूली शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए : बच्चे को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 3 और 4

(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

3. 'अग्रिम जमानत' की अवधारणा

प्र. अग्रिम जमानत' की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सीआरपीसी की धारा 438 को जब इसकी संपूर्णता में पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से संबंधित है।
2. सीआरपीसी की धारा 438 (1) स्पष्ट रूप से कुछ कारकों को निर्धारित करती है।
3. इसके तहत मांगी गई राहत प्रदान करने से पहले न्यायालय द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

4. द क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट

प्र. क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट (Climate Breakthroughs Summit) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं ने स्टील, शिपिंग, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ-साथ प्रकृति सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की।
2. इसके प्रमुख अभियानों में से एक 'रेस टू जीरो (Race to Zero)' अभियान है जो 708 शहरों, 24 क्षेत्रों, 2,360 व्यवसायों, 163 निवेशकों और 624 उच्च शिक्षा संस्थानों के समर्थन को एक स्थायी भविष्य के लिए शून्य-कार्बन वसूली की ओर ले जाने के लिए समर्थन जुटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 का नियम 6(I)

प्र. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 का नियम 6(I) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के नियम 6 (1) के तहत किसी राज्य के काडर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति केंद्र या अन्य राज्य या सार्वजनिक उपक्रम में संबंधित राज्य की सहमति से की जा सकती है।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम-1954 के तहत, "किसी मामले पर असहमति होने पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती हैं या संबंधित राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी कर सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

6. मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए नकदी सहायता

प्र. मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए नकदी सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (direct benefit transfer) के माध्यम से ₹1200 करोड़ की कुल राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रदान की जाएगी।
2. मध्याह्न-भोजन योजना के तहत सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
3. 2021-22 में मिड डे मील योजना के लिए कुल केंद्रीय आवंटन ₹11,500 करोड़ है।
4. इसका सबसे बड़ा घटक खाना पकाने की लागत है, जो दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल, नमक और मसालों जैसी सामग्री की कीमतों को कवर करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 3 और 4
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

7. रवांडा नरसंहार

प्र. रवांडा नरसंहार (Rwanda genocide) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. रवांडा की कुल आबादी में हूतू समुदाय का हिस्सा 85 प्रतिशत है लेकिन लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का देश पर दबदबा रहा है। कम संख्या में होने के बावजूद तुत्सी समुदाय ने लंबे समय तक रवांडा पर शासन किया था।
2. साल 1959 में हूतू विद्रोहियों ने तुत्सी राजतंत्र को खत्म कर देश में तख्तापलट किया।
3. अपने देश पर फिर से कब्जा करने को लेकर तुत्सी लोगों ने रवांडा पैट्रिएक फ्रंट (आरपीएफ) नाम के एक विद्रोही संगठन की स्थापना की जिसने 1990 में रवांडा में वापसी कर कत्लेआम शुरू कर दिया।
4. 1993 में सरकार के साथ तुत्सी विद्रोहियों ने समझौता कर लिया और देश में शांति की स्थापना हुई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 3 और 4
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

8. संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में चीन का बढ़ता प्रभाव

प्र. संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में चीन का बढ़ता प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. चीन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और संबंधित निकायों में स्वैच्छिक दान में लगभग 350 फीसदी की वृद्धि की है।
2. एक दशक में चीन ने सयुंक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण व गैर-संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय निकायों में अपना प्रभाव बढ़ाया और अब वह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union – ITU) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organisation- UNIDO) सहित ऐसे कई संगठनों में "प्रमुख स्थिति" (dominant position) में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

9. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समूह (ECOWAS)

प्र. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समूह (ECOWAS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का 15 सदस्यीय आर्थिक समुदाय, इकोवास (ECOWAS) की स्थापना 28 मई 1975 में लागोस की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी।
2. इकोवास की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूरे पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
3. ECOWAS बनाने वाले सदस्य देश बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डी आइवर, द गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो हैं।
4. ECOWAS की स्थापना अपने सदस्य राज्यों के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 3 और 4
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

10. ओडिशा में कृष्णमृगों की संख्या में बढ़ोतरी

प्र. ओडिशा में कृष्णमृगों की संख्या में बढ़ोतरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कृष्ण मृगों की कुल संख्या 7,358 है जिनमे 4,196 मादा व 1,712 नर हैं। इसके अतिरिक्त 1,450 युवामृग हैं।
2. गौरतलब है कि वर्ष 2001 में मृग आबादी 2,194 जबकि 2011 इनकी आबादी 3806 थी।
3. काले हिरण ओडिशा राज्य के दक्षिणी भाग में केवल गंजम जिले में पाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 3 (B) केवल 1 और 2
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

11. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

प्र. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भौगोलिक आधार पर सीटों का वितरण पर विचार कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें-

(भौगोलिक क्षेत्र)	(सीटों की संख्या)
(a) अफ्रीका महाद्वीप से	1. 13 सदस्य
(b) एशिया-प्रशांत क्षेत्र से	2. 13 सदस्य
(c) पूर्वी यूरोपीय देशों से	3. 7 सदस्य
(d) पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से	4. 6 सदस्य

कूटः

	a	b	c	d
(A)	1	2	4	3
(B)	2	1	3	4
(C)	3	4	1	2
(D)	1	2	3	4

Ans: (A)

12. देशद्रोह को परिभाषित करने का समयः सुप्रीम कोर्ट

प्र. देशद्रोह को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (देशद्रोह) और धारा 153 (समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के, विशेष रूप से प्रेस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों से संबंधित विषयों पर, प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कोविड-19 प्रबंधन के विषय में शिकायत करने वाले आलोचकों, पत्रकारों, सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं और नागरिकों के विरुद्ध देशद्रोह कानून के अनुचित उपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है।
3. यहाँ तक कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सा पहुँच, उपकरण, दवाएँ और ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग करने वाले लोगों के विरुद्ध भी देशद्रोह जैसे कानून का उपयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

13. भारत-मालदीव संबंध

प्र. भारत-मालदीव संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
2. यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए फरवरी, 2020 में हुआ था।
3. एमओयू के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 3 (B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

14. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत

प्र. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 1996 में बना ये संगठन पहले शंघाई - 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल थे।
2. 2001 में इस संगठन का विस्तार हुआ और उज्बेकिस्तान के इस संगठन में शामिल होने के बाद 15 जून, 2001 को शंघाई में SCO संगठन की स्थापना हुई थी।
3. वर्तमान में इस संगठन में आठ सदस्य देश हैं, यथा- रूस, भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अतिरिक्त, इस संगठन के चार पर्यवेक्षक और छह संवाद सहयोगी सदस्य देश भी हैं।
4. गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान को 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 3 और 4

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

15. राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान

प्र. हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates of National Income) जारी किए हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की जीडीपी की विकास की दर वित्त वर्ष 2021-21 में '-7.3 फीसद' रही है।
2. जीडीपी की वृद्धि दर में यह गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण आई है।
3. उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण चार दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

01

04

07
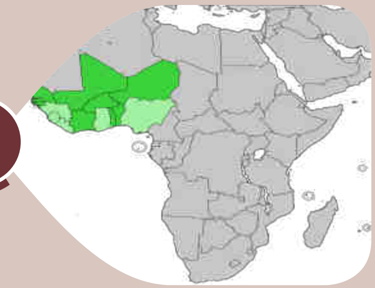

01 कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सहायता और सशक्तिकरण हेतु 'पीएम-केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन' की समीक्षा कीजिये।

02 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज करते समय केवल असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को सुरक्षा की राहत प्रदान कर सकता है। इस टिप्पणी का मूल्यांकन कीजिये।

03 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट ब्रेकथ्रू समिट के माध्यम से 2050 तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। क्या विश्व के सभी देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं? परीक्षण कीजिये।

04 हाल ही में भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है यह किस प्रकार समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा? टिप्पणी कीजिये।

05 हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को लगभग 100 रुपये मौद्रिक सहायता देने का फैसला किया है। क्या यह राशि परिकल्पित पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

06 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उल्लेख करें।

07 पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) क्या है? माली में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण पैदा हुई असुरक्षा के कारण पश्चिम अफ्रीका की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिये।

08 हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में वोटिंग हुई है। विदित हो कि भारत, इस वोटिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहा है। भारत के इस कदम से आप कहाँ तक सहमत हैं? टिप्पणी करें।

09 हाल के वर्षों में भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के मामले भारत में बढ़े हैं। इसके क्या कारण हैं? जांच कीजिये।

10 हाल ही में भारत सरकार ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह समझौता किस प्रकार दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करेगा?

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price | ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

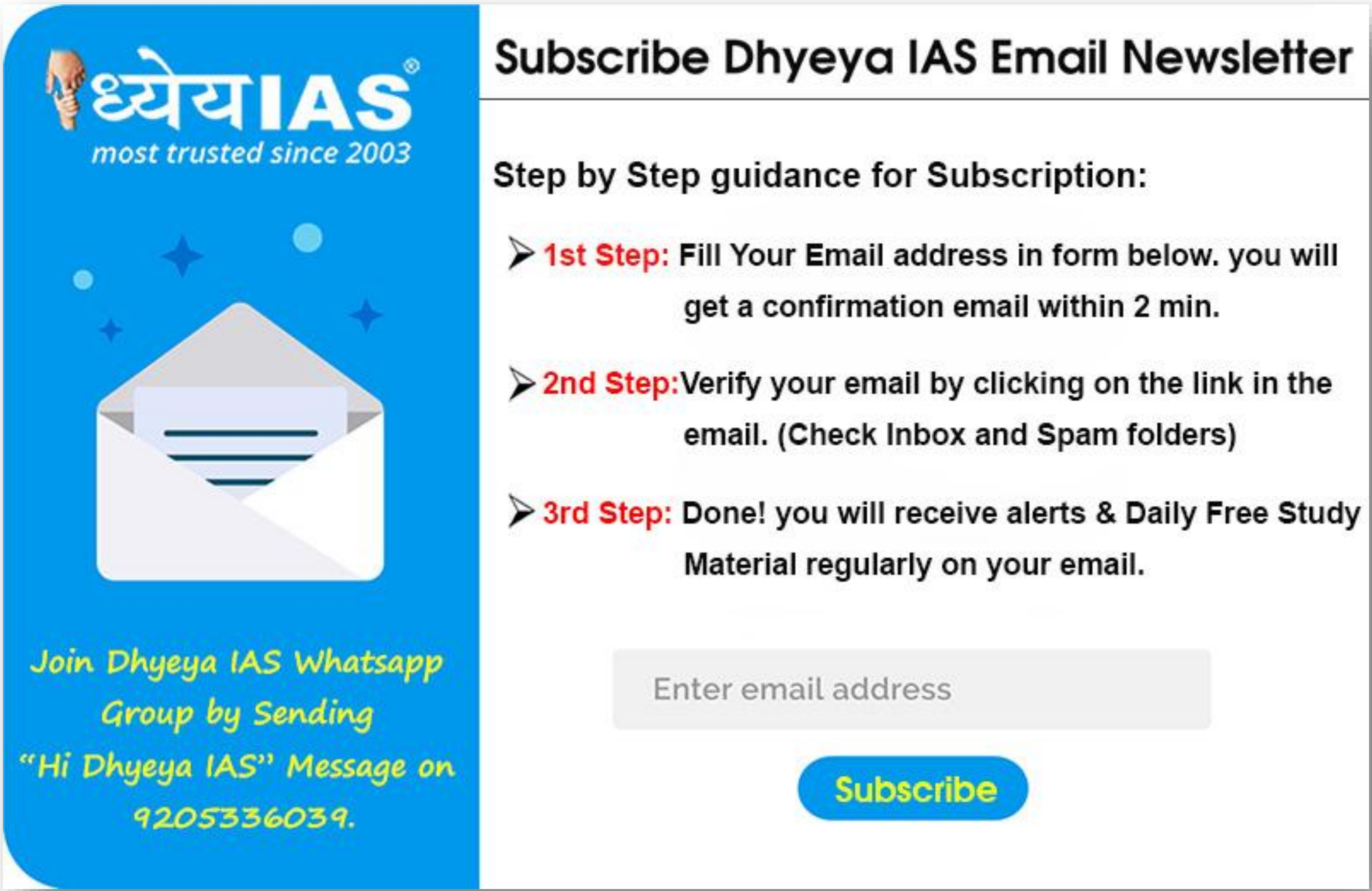

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com